रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2015/आषाढ़ 24, 1937
No. 252] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2015/ASADHA 24, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 जुलाई, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015

सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन. आर. ओ./जी.एन./2015-16/006 .- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम हेतु, ऐसी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता हेतु तथा ऐसी प्रतिभूतियों के व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु और उनसे आनुषंगिक विषयों हेतु एक ढाँचा निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "विज्ञापन" में संसूचना के सभी प्रकार सम्मिलित हैं, जिनमें सूचनाएँ (नोटिस), विवरणिकाएँ (ब्राशुअर), पुस्तिकाएँ (पैम्पलेट), शो-कार्ड, प्रसूची (कैटेलॉग), विज्ञापन पट्ट, प्लेकार्ड, पोस्टर, समाचारपत्र में कुछ भी छपना, प्रस्ताव दस्तावेजों

के मुख पृष्ठ, किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न कार्यक्रम में चित्र, फिल्में आदि सम्मिलित हैं;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो नगरपालिका की समुनषंगी (सब्सिडियरी) हो और जिसका गठन किसी नगरपालिका विशेष या नगरपालिकाओं के समूह हेतु निधियाँ (फंड) जुटाने के प्रयोजनार्थ किया गया हो;

(ङ) "ऋण प्रतिभूतियों" से असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) अभिप्रेत हैं जो ऋणग्रस्तता को सृजित या अभिस्वीकृत करती हों, और जिनमें नगरपालिका, या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी के डिबेंचर, बॉण्ड या ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, फिर चाहे ऐसे निकाय की आस्तियों पर भार के रूप में हों या न हों;

(च) "नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज" से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हों और जिसे निर्गमकर्ता द्वारा इन विनियमों के अधीन ऋण प्रतिभूतियों के किसी विशिष्ट निर्गम के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता हो;

(छ) "साधारण बाध्यता बॉण्डों" (जनरल ऑब्लीगेशन बॉण्ड) से वे ऋण प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं, जिनके मूलधन और ब्याज की चुकौती नगरपालिका की कर संबंधी आगमों (टैक्स प्रोसीड्स) के माध्यम से की जाती हो;

(ज) "निर्गमकर्ता" से कोई नगरपालिका या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम लाती हो या लाने का प्रस्ताव करती हो अथवा जिसकी अपनी प्रतिभूतियाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध कराना चाहती हो;

(झ) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल" से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल अभिप्रेत है;

(ट) "प्रस्ताव दस्तावेज" (ऑफर डॉक्यूमेंट) से प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अभिप्रेत है और जिसमें कोई ऐसा दस्तावेज या विज्ञापन सम्मिलित है जिसके द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जनता से आमंत्रित किए जाते हों;

(ठ) "निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट)" से ऋण प्रतिभूतियों का कोई प्रस्ताव या ऋण प्रतिभूतियों में अभिदान (सब्स्क्राइब) करने (में पैसा लगाने) के लिए कोई आमंत्रण अभिप्रेत है, जो नगरपालिका द्वारा अधिक से अधिक दो सौ व्यक्तियों को निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र (प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लैटर) जारी करके चुनिंदा व्यक्तियों के समूह को किया जाए, जिसका आशय यह नहीं होगा कि इससे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऋण प्रतिभूतियाँ उन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अभिदान (पैसा लगाए जाने) या क्रय हेतु उपलब्ध हो जाएँ जिन्हें प्रस्ताव या आमंत्रण प्राप्त हुआ हो:

परंतु यह कि कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हेतु, इससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र (प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लैटर) जारी करके लाया गया प्रस्ताव या दिया गया आमंत्रण अभिप्रेत है;

(ड) "सार्वजनिक निर्गम" (पब्लिक इश्यू) से निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) में अभिदाय (सब्स्क्राइब) करने के लिए जनता को प्रस्ताव या आमंत्रण अभिप्रेत है, जो निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के स्वरूप का न हो;

(ढ) "राजस्व बॉण्ड" (रेविन्यू बॉण्ड) से वे ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) अभिप्रेत हैं जिनकी चुकौती एक या एक से अधिक परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) से मिलने वाले राजस्व (रेविन्यू) से की जाती हो;

(ण) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) "शेल्फ प्रॉस्पेक्टस" से ऐसा प्रॉस्पेक्टस अभिप्रेत है जिसके संबंध में प्रतिभूतियाँ या उसमें सम्मिलित किसी वर्ग की प्रतिभूतियाँ, किसी निश्चित अवधि के दौरान और प्रॉस्पेक्टस जारी किए बिना, एक या एक से अधिक निर्गमों (इश्यू) में अभिदान के लिए निर्गमित की जाती हैं:

परंतु यह कि कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हेतु, इसका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 में इसके लिए नियत है;

(थ) "विनिर्दिष्ट" से अधिनियम या इन विनियमों के अधीन जारी साधारण या विशेष आदेश या परिपत्र द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए किंतु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या तदधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या किसी कानूनी उपांतर (परिवर्तन) या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों ।

लागू होना

3. ये विनियम –

(क) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) ; और

(ख) सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों की मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के प्रति लागू होंगे ।

अध्याय–II

पात्रता

पात्र नगरपालिकाएँ

4. कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन विनियमों के अधीन जनता को ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) निर्गमित करने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन न कर लिया जाए:

(क) नगरपालिका, चाहे वह स्वयं या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) निर्गमित करने का प्रस्ताव करे, अपने विधिक ढाँचे के अधीन निधियाँ (फंड) जुटाने के लिए पात्र होनी चाहिए;

(ख) नगरपालिका के लेखे (अकाउंट्स) ठीक पहले के कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए ऐसे ही म्युनिसिपल एकांउट्स मैनुअल के अनुसार तैयार किए जाएँगे;

(ग) ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में नगरपालिका की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ऋणात्मक (नेगेटिव) न रही हो;

(घ) पिछले तीन सौ पैंसठ दिनों के दौरान, नगरपालिका ने ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों का प्रतिसंदाय करने में चूक न की हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ (ख), (ग) एवं (घ) में दी गई अपेक्षाओं का अनुपालन उस नगरपालिका द्वारा किया जाएगा जिसका वित्तपोषण किया जा रहा हो ।

स्पष्टीकरण.- इस प्रयोजनार्थ, शब्द चूक से यह अभिप्रेत है कि जहाँ ब्याज और/या मूलधन की रकम नब्बे दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी चुकाई न गई हो;

(ङ) बोर्ड द्वारा कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी या उसके निदेशकों के खिलाफ अवरुद्ध किए जाने, प्रतिषिद्ध किए जाने या विवर्जित किए जाने संबंधी कोई भी आदेश या निदेश प्रवृत्त न हो;

(च) कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी, उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर), उसकी समूह कंपनी या उसके निदेशक (निदेशकों) का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'इरादतन चूककर्ताओं (जान बूझकर ऋण न चुकानेवालों) की सूची' में न आया हो या उसके द्वारा जनता को निर्गमित किए गए ऋण लिखतों (डैट इंस्ट्रूमेंट्स), यदि कोई हों, के संबंध में ब्याज का भुगतान करने या मूलधन की रकम की चुकौती करने (का प्रतिसंदाय करने) में चूक न की गई हो ।

अध्याय–III

सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) हेतु अपेक्षाएँ

साधारण शर्तें

5. (1) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) केवल राजस्व बॉण्ड (रेविन्यू बॉण्ड) निर्गमित करेगा ।

(2) कोई भी निर्गमकर्ता राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) का सार्वजनिक निर्गम नहीं लाएगा, जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न कर लिया जाए:

(क) उसने एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए उनके यहाँ आवेदन किया हो:

परंतु यह कि जहाँ आवेदन एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता हो, वहाँ निर्गमकर्ता उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा:

परंतु यह और कि जहाँ ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों में से किसी के पास राष्ट्रव्यापी व्यापारिक (ट्रेडिंग) टर्मिनल हों, वहाँ निर्गमकर्ता उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा;

स्पष्टीकरण.- बाद के किसी सार्वजनिक निर्गम के लिए, निर्गमकर्ता इस विनियम की अपेक्षाओं के अध्यधीन नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किसी भिन्न स्टॉक एक्सचेंज को चुन सकेगा;

(ख) उसने उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अपने राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) की सूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया हो जहाँ सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया गया;

(ग) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेंटिग एजेंसी) से क्रेडिट रेटिंग अभिप्राप्त कर ली गई हो और उसे प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया गया हो:

परंतु यह कि जिन राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) को निर्गमित किए जाने का इरादा हो, उन राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) की रेटिंग न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ग्रेड [निवेश (विनिधान) श्रेणी] की हो:

परंतु यह और कि जहाँ क्रेडिट रेटिंगें एक से अधिक साख निर्धारण एजेंसियों (क्रेडिट रेंटिग एजेंसियों) से अभिप्राप्त की जाती हों, वहाँ सभी रेटिंगों, जिनमें अस्वीकृत रेटिंगें सम्मिलित हैं, को प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाएगा;

(घ) उसने राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स), जो जनता को निर्गमित किए जाने के लिए प्रस्तावित हों, की गैरकागज़ी रूपी प्रक्रिया के लिए निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तदधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार (डिपाज़िटरी) के साथ इंतजाम किया हो ।

(3) राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) की न्यूनतम अवधि तीन वर्षों की होगी या ऐसी अवधि होगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) की अधिकतम अवधि तीस वर्षों की होगी या ऐसी अवधि होगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) निर्गमकर्ता बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एक या एक से अधिक मर्चेंट बैंककारों को नियुक्त करेगा, जिनमें से कम से कम एक अग्रणी मर्चेंट बैंककार (लीड मर्चेंट बैंकर) होगा ।

(6) राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) की चुकौती (सर्विसिंग) करने हेतु निर्गमकर्ता किसी निश्चित राजस्व वाला एक अलग निलंब खाता (एस्क्रो अकाउंट) बनाएगा ।

(7) निर्गमकर्ता उप-विनियम (6) के अधीन उल्लिखित निलंब खाते के अंतर्गत निश्चित राजस्व का अनुश्रवण करने के लिए (को मॉनीटर करने के लिए) एक अनुश्रवण एजेंसी, जैसे लोक वित्तीय संस्था या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, को नियुक्त करेगा:

परंतु यह कि, जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ वह, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगा ।

प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण

6. (1) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में सही, उचित और महत्त्वपूर्ण (तात्विक) प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे, जो राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) के लिए निवेश (विनिधान) के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए (विनिश्चय करने के लिए) आवश्यक हों ।

(2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गमकर्ता (इश्युअर), जो नगरपालिका हो, और अग्रणी मर्चेंट बैंककार (लीड मर्चेंट बैंकर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हो:

(क) इन विनियमों की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण;

(ख) विनियम 12 के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण;

(ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, तो निर्गमकर्ता और अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हो:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण;

(ii) इन विनियमों की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण;

(iii) विनियम 12 के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण;

(iv) अतिरिक्त प्रकटीकरण जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ ।

प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना

7. (1) कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) नहीं लाएगा जब तक कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) अग्रणी मर्चेंट बैंककार (लीड मर्चेंट बैंकर) के माध्यम से नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल न कर दिया गया हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता ने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया हो, वहाँ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अधिक से अधिक चार सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए जा सकेंगे ।

(2) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर डालकर, ऐसे एक्सचेंज के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से सात कार्य-दिवसों की अवधि तक, जनता की टिप्पणियाँ मंगाने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा ।

(3) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को निर्गमकर्ता, मर्चेंट बैंककारों और स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव हो, के वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(4) अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गमकर्ता के अग्रणी मर्चेंट बैंककार के अनुपालन अधिकारी, संबंधित अधिकारी और परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट ऑफिसर), जहाँ कहीं भी लागू हो, के नाम और संपर्क संबंधी ब्यौरे विनिर्दिष्ट हों जिनमें उनका डाक और ईमेल का पता, दूरभाष और फैक्स संख्याएँ सम्मिलित हैं ।

(5) अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में प्राप्त सभी टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से गौर किया जाए:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल करने से पूर्व, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में प्राप्त सभी टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से गौर किया जाए।

(6) निर्गमकर्ता, बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेजों को दाखिल करने से पूर्व, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था से एक "व्यवहार्यता प्रमाणपत्र" (वाइबिलिटी सर्टिफिकेट) या डीटेल्ड प्रोजेक्ट अप्रेसल रिपोर्ट [डीपीआर / विस्तृत परियोजना

मूल्यांकन रिपोर्ट] अभिप्राप्त करेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि परियोजना, उस समय उपलब्ध अनुमानों / धारणाओं के आधार पर, वित्तीय रूप से व्यवहार्य है ।

(7) प्रारूप और अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास इन दस्तावेजों को दाखिल करने के साथ-साथ, बोर्ड को भी उसके रिकॉर्ड के लिए अग्रेषित की (भिजवाई) जाएगी ।

(8) शेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल करने वाला निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और बोर्ड के पास सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरैन्डम) की एक प्रति दाखिल करेगा और कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी के मामले में, उसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करेगा ।

(9) जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ सूचना ज्ञापन में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे और जिनमें अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट संक्षिप्त निबंधन-पत्रक (टर्म शीट), नए महत्त्वपूर्ण (तात्विक) बदलाव, जिनके अंतर्गत रेटिंग के तर्काधार के साथ रेटिंगों में संशोधन, यदि कोई हो, सम्मिलित है, और वित्तीय अनुपातों से संबंधित प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे ।

(10) अग्रणी मर्चेंट बैंककार, सार्वजनिक निर्गम के खुलने से पूर्व, बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ अग्रणी मर्चेंट बैंककार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व, बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(11) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी विनियम 5 के उप-विनियम (7) के परंतुक के अधीन नियुक्त किया गया हो, सार्वजनिक निर्गम के खुलने से पूर्व, बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची-III के अनुसार सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्ताव दस्तावेज के प्रकटीकरण की रीति

8. (1) प्रारूप और अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाएंगे और पीडीएफ/एचटीएमएल फॉर्मेटों में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे ।

(2) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास, निर्गम के खुलने से पूर्व उसके वेबसाइट पर प्रसार के लिए, दाखिल किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज, कंपनी रजिस्ट्रार के पास उसको दाखिल करने के साथ-साथ, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास, निर्गम के खुलने से पूर्व उसके वेबसाइट पर प्रसार के लिए, दाखिल किया जाएगा ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति प्रस्ताव दस्तावेज की कागज़ी प्रति के लिए निवेदन करे, वहाँ वह उसे निर्गमकर्ता या अग्रणी मर्चेंट बैंककार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

सार्वजनिक निर्गमों के लिए विज्ञापन

9. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर), निर्गम खुलने की तारीख को या उससे पूर्व, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापन दे सकेगा, और ऐसे विज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची-IV के अनुसार प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) कोई भी निर्गमकर्ता ऐसा विज्ञापन जारी नहीं करेगा जिसका कोई महत्त्वपूर्ण अंश भ्रामक हो अथवा जिसमें तोड़-मरोड़ कर दी गई (विकृत) कोई जानकारी अंतर्विष्ट हो अथवा जो छलसाधक या प्रवंचक हो ।

(3) विज्ञापन सत्यतापूर्ण, निष्पक्ष तथा स्पष्ट होगा और जिसमें ऐसा कथन, वचन या पूर्वानुमान अंतर्विष्ट नहीं होगा जो असत्य या भ्रामक हो ।

(4) निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी विज्ञापन में ऐसे कोई विषय अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो प्रस्ताव दस्तावेज की विषय-वस्तु से बाहर के हों ।

(5) विज्ञापन में निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को केवल प्रस्ताव दस्तावेज में दी गई (अंतर्विष्ट) जानकारी के आधार पर ही निवेश (विनिधान) करने को कहा जाएगा ।

(6) अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की अवधि के दौरान निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी प्रचार संबंधी या शिक्षाप्रद विज्ञापन में राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) के निर्गमन (इश्यू) का कोई उल्लेख नहीं होगा या उसका उपयोग याचना के लिए नहीं किया जाएगा ।

संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्रिका) और आवेदन प्ररूप (फॉर्म)

10. (1) निर्गमकर्ता और अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(क) निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रत्येक आवेदन प्ररूप (फॉर्म) के साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति संलग्न हो;

(ख) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस में ऐसे विषय अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो प्रॉस्पेक्टस की विषय-वस्तु से बाहर के हों;

(ग) आवेदन प्ररूप (फॉर्म) में पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि निवेशक (विनिधानकर्ता) नाम, पते, आदि जैसे विभिन्न ब्यौरे भरने में समर्थ हो सकें।

(2) निर्गमकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन के अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) के लिए सुविधा उपलब्ध करा सकेगा।

न्यूनतम अभिदान

11. (1) निर्गमकर्ता न्यूनतम अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की रकम तय कर सकेगा जो वह ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यू) के माध्यम से जुटाना चाहता हो और उसे प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसी न्यूनतम अभिदान सीमा निर्गम के आकार के पचहत्तर प्रतिशत से कम की नहीं होगी।

(2) ऊपर यथा उल्लिखित न्यूनतम अभिदान प्राप्त न होने की दशा में, सार्वजनिक निर्गम में प्राप्त समस्त आवेदन धनराशि, निर्गम के बंद होने की तारीख से बारह दिनों के भीतर, आवेदकों को तुरंत लौटा दी जाएगी।

(3) उस दशा में, जब निर्गमकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार धन-वापसी (रिफंड) करने में विलंब होता है, तब निर्गमकर्ता अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की रकम की धन-वापसी (का रिफंड) करने के साथ-साथ विलंब की अवधि के लिए दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करेगा।

निर्गम आगमों (इश्यू प्रोसीड्स) का उपयोग

12. (1) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) से जुटाई गई निधियों (फंड्स) का उपयोग केवल उन्हीं परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) के लिए किया जाएगा जो प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उद्देश्यों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

(2) निर्गम के आगम किसी एक परियोजना या एक से अधिक परियोजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से निश्चित किए जाएँगे जिनके लिए संबद्ध प्राधिकरणों (अथॉरिटीज़) से अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिए गए हों।

(3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक बैंक खाता रखेगा जिसमें निर्गम से जुटाई गई रकम निर्गम के बंद होने के ठीक बाद अंतरित कर दी जाएगी, और ऐसी रकम का उपयोग केवल विनिर्दिष्ट परियोजना (परियोजनाओं) के लिए ही किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ निर्गम आगमों, निर्गम संबंधी व्ययों को घटाकर, का उपयोग केवल नगरपालिकाओं को आगे उधार देने के लिए किया जाएगा, जैसा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया गया हो:

परंतु यह और कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ वह नगरपालिकाओं को आगे उधार देते समय पर्याप्त ब्याज मार्जिन बनाए रखेगा, ताकि उसके प्रचालन संबंधी व्ययों और बाध्यताओं की पूर्ति हो सके।

(4) निर्गमकर्ता अलग से परियोजना कार्यान्वयन कक्ष (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सैल) का गठन करेगा और एक परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट ऑफिसर) को पदाभिहित करेगा जो उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के ओहदे (रैंक) से नीचे का नहीं होगा, जो परियोजना (परियोजनाओं) की प्रगति का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जुटाई गई निधियों का उपयोग केवल उसी परियोजना (उन्हीं परियोजनाओं) के लिए किया जाए, जिसके (जिनके) लिए ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गमित की गई थीं:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ ऐसी अपेक्षा का अनुपालन उस नगरपालिका द्वारा किया जाएगा, जिसका वित्तपोषण किया जा रहा हो।

(5) प्रत्येक परियोजना के लिए निर्गमकर्ता का योगदान उन परियोजना लागतों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, जो उनके आंतरिक संसाधनों या अनुदानों (ग्रांट्स) से दिया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ संबद्ध नगरपालिका, जिसका वित्तपोषण कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी द्वारा किया जा रहा हो, का योगदान उन परियोजना लागतों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, जो उनके आंतरिक संसाधनों या अनुदानों (ग्रांट्स) से दिया जाएगा।

(6) निर्गमकर्ता प्रस्ताव दस्तावेज में परियोजना के कार्यान्वयन के कार्यक्रम को सारणीबद्ध रूप में प्रकट करेगा और निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग उक्त कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।

हामीदारी (अंडरराइटिंग)

13. राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) की हामीदारी (अंडरराइटिंग) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हामीदार (अंडरराइटर) द्वारा की जा सकेगी और ऐसे मामले में हामीदारी के इंतजामों (अरेंजमेंट्स) के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में किए जाएंगे ।

अध्याय-IV

ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

अनिवार्य सूचीबद्धता (मैन्डेटरी लिस्टिंग)

14. जनता के लिए ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का प्रस्ताव लाने का इच्छुक निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन करेगा:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, तो ऐसा आवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 40 की उप-धारा (1) के अनुसार किया जाएगा ।

निजी स्थानन आधार पर निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए शर्तें

15. (1) निर्गमकर्ता निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित अपनी ऋण प्रतिभूतियों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सूचीबद्ध करा सकेगा:

(क) निर्गमकर्ता साधारण बाध्यता बॉण्ड (जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड्स) या राजस्व बॉण्ड (रेविन्यू बॉण्ड) निर्गमित कर सकेगा;

(ख) निर्गमकर्ता होने के नाते नगरपालिका के लेखे (अकाउंट्स) ठीक पहले के कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए ऐसे ही म्युनिसिपल एकांउट्स मैनुअल के अनुसार तैयार किए जाएँगे;

(ग) बोर्ड द्वारा कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी या उसके निदेशकों के खिलाफ अवरुद्ध किए जाने, प्रतिषिद्ध किए जाने या विवर्जित किए जाने संबंधी कोई भी आदेश या निदेश प्रवृत्त न हो;

(घ) निर्गमकर्ता ने, कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उनके अधीन विहित नियमों और अन्य लागू विधियों के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गमित की हों;

(ङ) निर्गमकर्ता, निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के सिवाय, ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम लाकर निधियों की याचना नहीं करेगा या निधियाँ (फंड) नहीं जुटाएगा;

(च) प्रति निवेशक (विनिधानकर्ता) अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की न्यूनतम रकम पच्चीस लाख रुपये या ऐसी रकम से कम नहीं होगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए;

(छ) क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) ऐसी ऋण प्रतिभूतियों की बाबत बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से अभिप्राप्त कर ली गई हो;

(ज) सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियाँ गैरकागज़ी रूप में हों;

(झ) इन विनियमों की अनुसूची-I में यथा उपबंधित प्रकटीकरण कर दिए गए हों ।

अध्याय-V

सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थानन दोनों के लिए अपेक्षाएँ

आस्ति कवर

16. ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) निर्गमित करने का प्रस्ताव करने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) 100% आस्ति (असेट) कवर बनाए रखेगा, जो निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों के लिए हर समय मूलधन की रकम चुकाने के लिए पर्याप्त हो ।

क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)

17. निर्गमकर्ता निवेशकों से, ऋण प्रतिभूतियों को उस मूल्य पर क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) का विकल्प (ऑप्शन) प्रदान कर सकेंगे, जो ऋण प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) से कम नहीं होगा:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में समुचित प्रकटीकरण किया जाएगा ।

प्रस्ताव दस्तावेज में अशुद्ध कथनों के प्रतिषेध

18. (1) प्रस्ताव दस्तावेज में किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण (तात्विक) तथ्य के प्रकटीकरण का लोप नहीं होगा जो उसमें किए गए कथनों को भ्रामक बना दे, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन वे किए जाते हों ।

(2) ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव दस्तावेज या संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस या किसी विज्ञापन में कोई मिथ्या या भ्रामक कथन अंतर्विष्ट नहीं होगा ।

प्रतिभूत डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति का सृजन

19. (1) डिबेंचरों को, निर्गमकर्ता की संपत्तियों या आस्तियों (असेट्स) या प्राप्यों (रिसीवेबल्स) [जिनका मूल्य डिबेंचरों तथा उन पर ब्याज की रकम की चुकौती (का प्रतिसंदाय) करने हेतु पर्याप्त हो] पर भार (चार्ज) के सृजन द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि अप्रतिभूत डिबेंचरों को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध कराए जाने का इरादा हो, तो ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ या तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से प्रत्याभूति (गारंटी) से समर्थित होंगी अथवा भुगतान की सुनियोजित व्यवस्था होगी, जिसके द्वारा निर्गमकर्ता भुगतान की देय तारीख से कम से कम 10 कार्य-दिवसों पूर्व ऋण की चुकौती की रकम (डैट सर्विसिंग अमाउंट) अभिहित बैंक खाते में जमा करेंगें ।

(2) निर्गमित प्रतिभूत डिबेंचरों का कुल मूल्य निर्गमकर्ता की स्थावर संपत्ति/अन्य आस्तियों या प्राप्यों, जिनके लिए भार सृजित किया जाएगा, के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी ।

(3) निर्गमकर्ता प्रस्ताव दस्तावेज में यह वचन देगा कि जिन आस्तियाँ पर भार सृजित किया गया है, वे आस्तियाँ किन्हीं विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंस) से रहित हैं और यदि आस्तियाँ पहले ही से ऋण को प्रतिभूत करने के लिए भारित हैं, तो निर्गमकर्ता की आस्तियों पर दूसरा या *समान (पैरी पासु)* भार सृजित करने की अनुमतियाँ या सहमति पहले के लेनदार से अभिप्राप्त कर ली गई है ।

(4) निर्गम आगमों का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिभूति के सृजन के लिए दस्तावेज निष्पादित नहीं कर लिए जाते ।

न्यास विलेख

20. (1) डिबेंचरों के निर्गम को प्रतिभूत करने के लिए न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड), निर्गमकर्ता द्वारा, निर्गम के बंद होने के तीन महीनों के भीतर, स्वतंत्र न्यासी या डिबेंचर न्यासी, जो लागू हो, के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा ।

(2) न्यास विलेख में ऐसे खण्ड अंतर्विष्ट होंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 की अनुसूची-IV में विहित हों:

परंतु यह कि कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी द्वारा निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के मामले में, न्यास विलेख में, अतिरिक्त रूप से, ऐसे खंड अंतर्विष्ट होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अधीन विहित हों ।

(3) न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट नहीं होगा जिससे:

(क) निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के किन्हीं अधिकारों या हितों के संबंध में डिबेंचर न्यासियों या निर्गमकर्ता की बाध्यताएँ और उनके दायित्व सीमित हो जाएँ या निर्वापित हो जाएँ;

(ख) अधिनियम, इन विनियमों और बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के उपबंध (प्रावधान) सीमित हो जाएँ या निर्बंधित हो जाएँ या अधित्यजित हो जाएँ;

(ग) डिबेंचर न्यासियों या निर्गमकर्ता की उपेक्षा अथवा करण या लोप त्रुटि से हुई हानि या हुए नुकसान के प्रति वे सुरक्षित हो जाएँ ।

मोचन (रिडेंप्शन) और आवर्तन (रोल-ओवर)

21. (1) निर्गमकर्ता प्रस्ताव दस्तावेज के निबंधनों (की शर्तों) के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों का मोचन करेगा ।

(2) जहाँ निर्गमकर्ता, कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी होने के नाते, निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों के आवर्तन (रोल ओवर) की इच्छा रखता हो, वहाँ वह ऐसा केवल उस आशय का विशेष संकल्प पारित किए जाने पर करेगा और प्रस्तावित आवर्तन (रोल ओवर) की इक्कीस दिनों की सूचना (का नोटिस) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों को देगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता एक नगरपालिका हो, वहाँ सूचना (नोटिस) ऋण प्रतिभूतियों के धारकों और स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, को उक्त विनिश्चय (निर्णय) होने पर दी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि निर्गमकर्ता एक नगरपालिका हो, और यदि ऋण प्रतिभूतियों के धारक नोटिस की अवधि के भीतर प्रस्तावित आवर्तन (रोल ओवर) के लिए सहमति प्रदान नहीं करते, तो निर्गमकर्ता ऐसे धारकों की ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (को रिडीम) करेगा ।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना में क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) और आवर्तन के तर्काधार के संबंध में प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे ।

(4) यदि निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, तो वह ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को सूचना (नोटिस) भेजने से पूर्व, उन स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचना (नोटिस) और प्रस्तावित संकल्प की एक प्रति दाखिल करेगा जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, ताकि उनके वेबसाइटों पर जनता तक प्रसारित किया जा सके ।

(5) निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों का आवर्तन (रोल ओवर) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है:

(क) आवर्तन डाक मतपत्र के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित हो, जिसमें ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% धारकों की सहमति हो:

परंतु यह कि यह शर्त उस निर्गमकर्ता के प्रति लागू नहीं होगी, जो एक नगरपालिका हो:

परंतु यह और कि यदि निर्गमकर्ता एक नगरपालिका हो, तो ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को सात दिनों का समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी सहमति दे सकें;

(ख) कम से कम एक रेटिंग मोचन (रिडेंप्शन) की नियत तारीख से पूर्व छह महीनों की अवधि के भीतर साख निर्धारण एजेंसी से अभिप्राप्त की जाए और उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट (उल्लिखित) सूचना (नोटिस) में प्रकट की जाए;

(ग) नया न्यास विलेख ऐसे आवर्तन (रोल ओवर) के समय निष्पादित किया जाएगा या मौजूदा न्यास विलेख जारी रखा जा सकेगा यदि न्यास विलेख में इस प्रकार जारी रखे जाने का उपबंध (प्रावधान) हो;

(घ) आवर्तन (रोल ओवर) की जाने वाली ऐसी ऋण प्रतिभूतियों की बाबत पर्याप्त प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) सृजित की जाएगी या रखी जाएगी ।

(6) निर्गमकर्ता उन सभी धारकों की ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेंप्शन) करेगा, जिन्होंने आवर्तन के प्रति अपनी निश्चित सहमति न दी हो ।

डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व)

22. (1) कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी द्वारा निर्गमित डिबेंचरों के मोचन के लिए, निर्गमकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) सृजित करेगा ।

(2) जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो और निर्गमकर्ता ने, ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज या उसके मोचन (रिडेंप्शन) के भुगतान अथवा प्रतिभूति के सृजन में चूक की हो, वहाँ लाभाँश के किसी वितरण के लिए डिबेंचर न्यासियों का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

अध्याय-VI

ऋण प्रतिभूतियों की सतत सूचीबद्धता और इनके व्यापार हेतु शर्तें

सतत सूचीबद्धता संबंधी शर्तें

23. (1) ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाने वाले या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता चाहने वाले सभी निर्गमकर्ता (इश्युअर) सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन करेंगे, जिनमें साधारणतया बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट और इन विनियमों की अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट सतत प्रकटीकरण तथा अन्य अपेक्षाएँ सम्मिलित हैं ।

(2) जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ उसके बोर्ड के एक तिहाई में स्वतंत्र निदेशक समाविष्ट होंगे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में परिभाषित है ।

(3) निर्गमकर्ता द्वारा अभिप्राप्त प्रत्येक रेटिंग की समीक्षा सामयिक रूप से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा की जाएगी और रेटिंग में कोई संशोधन तत्परता से निर्गमकर्ता द्वारा उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) को प्रकट किया जाएगा जहाँ ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों ।

(4) यदि क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) निर्गम (इश्यु) के समय दी गई रेटिंग से दो या दो से अधिक स्तरों से नीचे आ जाए, तो निर्गमकर्ता रेटिंग में आई गिरावट के कारण और रेटिंग में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों, यदि कोई हों, जो वह उठाना चाहता हो, के बारे में सभी बॉण्डधारकों को बताएगा ।

(5) रेटिंग में कोई परिवर्तन तत्परता से ऐसी रीति से प्रसारित किया जाएगा जैसा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, समय-समय पर निर्धारित करे ।

(6) निर्गमकर्ता (इश्युअर), संबंधित डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किए गए हों, और स्टॉक एक्सचेंज ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में समस्त जानकारी और रिपोर्टें, जिनमें निर्गमकर्ताओं और डिबेंचर न्यासियों, यदि नियुक्त किए गए हों, द्वारा दाखिल की गई अनुपालन (कम्प्लायन्स) रिपोर्टें सम्मिलित हैं, अपने वेबसाइटों पर डालकर उन्हें निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) और आम जनता को प्रसारित करेंगे ।

(7) उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट (उल्लिखित) जानकारी डिबेंचर न्यासी, निर्गमकर्ता और स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों, यदि कोई हों, पर भी रखी जाएगी ।

लेखा और लेखापरीक्षा

24. (1) यदि निर्गमकर्ता नगरपालिका हो, तो वह अपने लेखे (अकाउंट्स) नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए ऐसे ही म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार तैयार करेगा:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, तो लेखे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं 134 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए जाएँगे ।

(2) यदि निर्गमकर्ता नगरपालिका हो, तो निर्गमकर्ता के लेखों की लेखापरीक्षा नगर निगमों (म्युनिसिपल कारपोरेशन) द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, जैसा उसके विधिक ढाँचे / नगरपालिका को विनियमित करने वाले राज्य के कानून (विधान) के अधीन अनुमत हो:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, तो निर्गमकर्ता के लेखों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षक द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

(3) निर्गम आगमों (इश्यू प्रोसीड्स) के बैंक खाते और निश्चित राजस्व वाले अलग निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) की लेखापरीक्षा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीनों के भीतर नगरपालिका या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी द्वारा इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों द्वारा की जाएगी ।

ऋण प्रतिभूतियों का व्यापार और उनकी रिपोर्टिंग

25. (1) जनता को या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, का व्यापार किया जाएगा और ऐसे व्यापारों (ट्रेड) का समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों (क्लीयरिंग कारपोरेशन) में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा ।

(2) निजी स्थानन वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए व्यापारिक लॉट (ट्रेडिंग लॉट) एक लाख रुपये या ऐसी रकम होगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) ऋण प्रतिभूतियों के व्यापारों (ट्रेड) के मामले में जो काउंटर पर किए गए हों, ऐसे व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनल वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म को दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) निर्गमों के संबंध में जानकारी [जैसे निर्गमकर्ता के ब्यौरे, लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के ब्यौरे, रेटिंग, रेटिंग में परिवर्तन (रेटिंग माइग्रेशन), कूपन, क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक), मोचन (रिडेंप्शन) के ब्यौरे], निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरी) के यहाँ साझे डाटाबेस (कॉमन डाटाबेस) पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिपोर्ट की जानी अपेक्षित होगी ।

अध्याय-VII

मध्यवर्तियों और निर्गमकर्ताओं की बाध्यताएँ

अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी और न्यासी (ट्रस्टी) की बाध्यताएँ

26. (1) विनियम 5 के उप-विनियम (7) के अधीन नियुक्त अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी में ऋण प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ निहित होंगी ।

(2) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी छमाही आधार पर, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में यथा विनिर्दिष्ट निर्गम (इश्यू) के उद्देश्यों के अनुसार निर्गम आगमों (इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोग का निरीक्षण करेगी और सार्वजनिक प्रसार हेतु संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को महत्त्वपूर्ण (तात्विक) विचलन, यदि कोई हो, सूचित (की रिपोर्ट) करेगी ।

(3) अनुश्रवण एजेंसी अलग निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) के अंतर्गत निश्चित राजस्व का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करेगी ।

(4) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किया गया हो, में ऋण प्रतिभूतियों के धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ निहित होंगी:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ ऐसी शक्तियों के अंतर्गत, ऐसी प्रतिभूतियों के संस्थागत धारकों के परामर्श से, निर्गमकर्ता के बोर्ड में नामनिर्देशिती (नामिती / नॉमिनी) निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार सम्मिलित होगा ।

(5) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किया गया हो, निम्नलिखित घटनाओं / दशाओं में से किसी भी घटना / दशा में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) और आम जनता को जानकारी प्रकट करेगा:

(क) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज या मोचन (रिडेंप्शन) की रकम का भुगतान करने में निर्गमकर्ता द्वारा चूक;

(ख) आस्तियों पर भार सृजित करने में असफलता;

(ग) ऋण प्रतिभूतियों को दी गई रेटिंग का संशोधन ।

(6) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किया गया हो, इन विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) तथा प्रस्ताव दस्तावेज के अधीन, सम्यक् (पूरी) सतर्कता, तत्परता और निष्ठा से, अपने कर्तव्य निभाएगा और अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

(7) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किया गया हो, सतत आधार पर समस्त महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाओं / दशाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा ।

(8) डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी नियुक्त किए गए हों, ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्रतिभूति के सृजन और डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) के संबंध में शर्तों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे ।

निर्गमकर्ता और मर्चेंट बैंककार की बाध्यताएँ

27. (1) निर्गमकर्ता जनता को जारी किए गए या वितरित किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों में समस्त महत्त्वपूर्ण (तात्विक) तथ्यों को प्रकट करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए समस्त प्रकटीकरण सही, उचित तथा पर्याप्त हों, और प्रस्ताव दस्तावेज में कोई भी भ्रामक या असत्य कथन या अशुद्ध कथन न हों ।

(2) मर्चेंट बैंककार यह सत्यापित और पुष्टि करेगा (करेंगे) कि प्रस्ताव दस्तावेजों में किए गए प्रकटीकरण सही, उचित तथा पर्याप्त हैं, और यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि निर्गमकर्ता इन विनियमों का अनुपालन करता हो ।

(3) मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि इन विनियमों की अनुसूची-I में अपेक्षित समस्त संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) संबंधी प्रकटीकरणों का अनुपालन किया जाए:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ मर्चेंट बैंककार यह भी सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रकटीकरणों का अनुपालन किया जाए ।

(4) निर्गमकर्ता ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में आवेदकों के साथ प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष और साम्यपूर्ण रीति से बर्ताव करेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) निर्गमकर्ता और मर्चेंट बैंककार जनता को प्रतिभूतियों के निर्गम, प्रस्ताव और वितरण के संबंध में उनके द्वारा अपने ऊपर लिए गए कर्तव्यभारों की बाबत सम्यक् तत्परता के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(6) कोई भी व्यक्ति ऋण प्रतिभूतियों, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हों, के निर्गम या अभिदान (सब्सक्रिप्शन) या वितरण के संबंध में धोखा देने के लिए कोई युक्ति नहीं लगाएगा, कोई योजना नहीं बनाएगा या कोई प्रयत्न नहीं करेगा ।

(7) निर्गमकर्ता और मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण प्रतिभूतियों को प्रतिभूत करने के लिए सृजित प्रतिभूति ऋण प्रतिभूतियों के लिए शत-प्रतिशत आस्ति कवर को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो ।

अध्याय-VIII

विविध

अतिक्रमणों के लिए अनुशास्ति

28. इन विनियमों के किसी उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार की जाएगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29. इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के निर्वचन या उनके लागू होने के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड को मार्गदर्शन टिप्पणों (गाइडेन्स नोट्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति होगी:

परंतु यह कि जहाँ कोई निदेश बोर्ड द्वारा इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट मामले में जारी किया जाता है, वहाँ ऐसा केवल संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् और निदेश के कारणों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

अनुसूची-I

[विनियम 6 (2) देखें]

प्रकटीकरण

1. जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 [सेबी (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डैट सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-I के अनुसार प्रकटीकरण करेगा और उन नगरपालिकाओं (जिनका वित्तपोषण निर्गम के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव हो) से संबंधित नीचे उल्लिखित प्रकटीकरण, जो भी सुसंगत हो, भी करेगा;

2. जहाँ निर्गमकर्ता कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ वह नीचे उल्लिखित प्रकटीकरण करेगा:

क. <u>साधारण जानकारी</u>

1. संबद्ध अधिनियम, जिसके अधीन ऐसी प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता (इश्युअर) निगमित हो और विनियमित होता हो ।
2. समिति / नगर निगम के संकल्प, जिसके अंतर्गत उधार लेने को प्राधिकृत किया गया हो, की प्रति और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची ।
3. ऋण प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु आवश्यक संकल्प (संकल्पों) की प्रति ।
4. पिछले 3 वर्षों के बजट संबंधी दस्तावेजों की प्रति, जिनमें वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन और/या संशोधित प्रक्कलन दिए गए हों, और साथ ही संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) के ब्यौरे ।
5. निर्गमकर्ता की ओर से यह कथन करने वाला वचन कि भार के सृजन हेतु आवश्यक दस्तावेज, जहाँ लागू हों, जिनमें न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) सम्मिलित है, सुसंगत विनियमों / अधिनियम / नियमों आदि में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किए जाएंगे और उन्हें, उनके निष्पादन के पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की गई हों, के वेबसाइट पर डाला (अपलोड किया) जाएगा ।
6. कोई अन्य विवरण या दस्तावेज जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की गई हों, मंगा सकेगा, जैसा यह ठीक समझे ।
7. यह वचन कि प्रस्तावित निर्गम के न्यासियों के पक्ष में सृजित किए जाने वाले द्वितीय या समान (पैरी-पासू) भार, जहाँ लागू हो, के लिए पहले के लेनदार से अनुमति / सहमति प्राप्त कर ली गई है ।
8. अनुश्रवण (मॉनीटर) करने वाली एजेंसी का नाम और उसके संपर्क संबंधी ब्यौरे ।
9. ऋण प्रतिभूतियों की चुकौती (सर्विसिंग) के लिए खोले गए, निश्चित राजस्व वाले अलग निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) के ब्यौरे, जहाँ कहीं भी लागू हो ।

<u>निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के आबंटन के समय डिबेंचर न्यासी को निम्नलिखित प्रकटीकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप (सॉफ्ट कॉपी) में प्रस्तुत करेगा:</u>

1. संबद्ध अधिनियम जिसके अधीन ऐसी प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता निगमित हो और विनियमित होता हो ।
2. उधार लेने को प्राधिकृत करने वाले संकल्प की प्रति और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची ।
3. ऋण प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु आवश्यक संकल्प (संकल्पों) की प्रति ।
4. पिछले 3 वर्षों के बजट संबंधी दस्तावेजों की प्रति, जिनमें वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन और/या संशोधित प्राक्कलन दिए गए हों ।

ख. इस आशय का वचन कि निर्गमकर्ता, ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेंप्शन) होने तक, निर्गमकर्ता की वित्तीय स्थिति (फाइनेंशियल्स) से संबंधित ब्यौरे न्यासी (ट्रस्टी) को, अपने छमाही / वार्षिक परिणाम प्रस्तुत किए जाने / प्रकाशित किए जाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत करेगा । इसके अलावा, निर्गमकर्ता, तुरंत सबसे अंत की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति न्यासी को प्रस्तुत करेगा और न्यासी इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए ब्यौरे डिबेंचर धारकों के साथ, उनके विशिष्ट निवेदन के दो कार्य-दिवसों के भीतर, साझा करने के लिए बाध्य होगा । प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे, जहाँ सुसंगत हो:

I. निम्नलिखित का नाम और पता:-
 - क. निर्गमकर्ता (इश्युअर) का प्रधान कार्यालय / मुख्यालय
 - ख. निर्गमकर्ता का अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर)
 - ग. म्युनिसिपल बॉण्डों से संबंधित निवेशक शिकायतें देखने वाले प्रभारी अधिकारी के पूरे ब्यौरे, उसका पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी, आदि
 - घ. निर्गमकर्ता (इश्युअर) का मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी (अकाउंटस एंड फाइनेंस ऑफिसर) या उसका समतुल्य पद
 - ङ. लिखत के इंतजामकर्ता (अरेंजर्स), यदि कोई हों
 - च. निर्गम (इश्यू) का न्यासी (ट्रस्टी)
 - छ. निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू)
 - ज. निर्गम की साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी (एजेंसियाँ), और

झ. निर्गम के लेखापरीक्षक (ऑडिटर्स)

ञ. संबद्ध अधिनियम, जिसके अधीन निर्गमकर्ता (इश्युअर) निगमित हो और विनियमित होता हो

II. जोखिम कारकों (रिस्क फैक्टर्स), जिनमें परियोजना जोखिम (प्रोजेक्ट रिस्क), प्रचालन संबंधी (ऑपरेशनल) जोखिम, ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क), अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के जोखिम आदि सम्मिलित हैं, के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण ।

ग. संगठन संबंधी ब्यौरे:

1. महापौर (मेयर) / उप महापौर (डिप्टी मेयर) के ब्यौरे, जिनमें नियुक्ति की तारीख, आदि सम्मिलित है

2. आयुक्त / उपायुक्त के ब्यौरे, जिनमें नियुक्ति की तारीख, आदि सम्मिलित है

3. पिछले 1 वर्ष में किसी पुनर्गठन या पुनर्संरचना के ब्यौरे:-

घटना का प्रकार	घोषणा की तारीख	पूरा होने की तारीख	ब्यौरे

4. परियोजना की मंजूरी देने वाली समिति / कराधान (टेक्सेशन) / वित्त (फाइनेंस) / लेखा (अकाउंट्स) / लेखापरीक्षा (ऑडिट) / अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) से संबंधित विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के ब्यौरे

नाम और पदनाम	नियुक्त किए जाने / पदत्याग की तारीख	कब से समिति के सदस्य (यदि पदत्याग कर दिया हो)	टिप्पणियाँ

5. लेखापरीक्षकों (ऑडिटर्स) के ब्यौरे

नाम	पता	कब से लेखापरीक्षक है

6. न्यासी के ब्यौरे

नाम	पता	संपर्क व्यक्ति

घ. <u>निर्गमकर्ता (इश्युअर) के कारबार / क्रियाकलापों और उसकी परियोजना (प्रोजेक्ट), जिसके लिए निधियाँ (फंड) जुटाई जानी हैं, का संक्षिप्त विवरण, जिसमें कम से कम निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट हो</u>

1. निर्गमकर्ता का सिंहावलोकन
2. निर्गमकर्ता की प्रबंधन संरचना और बॉण्ड निर्गमित करने वाला संबद्ध विभाग (डिपॉर्टमेंट)
3. हाथ में ली गई सभी परियोजनाओं या सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के ब्यौरे (लागत के अनुसार) और वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) के साधन
4. उस परियोजना / उन परियोजनाओं के पूरे ब्यौरे जिसके / जिनके लिए वित्तपोषण (फाइनेंस) किया जा रहा है
 i. परियोजना के घटकों के लिए निवेश योजना [योजना को चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने तथा उसके वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) को दर्शाते हुए], जो, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा अनुमोदित हो
 ii. परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम
 iii. उन परियोजनाओं से संबंधित पूँजी संरचना जिनके लिए निधियाँ (फंड) जुटाए जाने का प्रस्ताव है

iv. प्रस्तावित परियोजना के लिए पूँजी अनुदान (कैपिटल ग्रांट) और इस संबंध में प्राप्त रकम

v. वार्षिक आधार पर राज्य वित्त आयोग (स्टेट फाइनेंस कमीशन) से प्राप्त अनुदान (ग्रान्ट) के ब्यौरे

vi. परियोजना के शुरू होने और उसके पूरा होने संबंधी बेंचमार्क, जिनमें परियोजना के सभी घटकों के लिए नियत तारीखें सम्मिलित हैं

vii. विनियामक मंजूरी (यदि अपेक्षित हो) के ब्यौरे और उसकी स्थिति

viii. परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना के लिए चरण के अनुसार लागत और राजस्व के प्रवाहों को दर्शाते हुए

ix. समय पर चुकौती (सर्विसिंग) तथा मोचन (रिडेंप्शन) के लिए राजस्व सृजन / संसाधन और पर्याप्तता

x. निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) के स्वतंत्र न्यासी के ब्यौरे

xi. नियंत्रक-महालेखारीक्षक द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट के पैनल में से संबंधित राज्य के शहरी विकास विभागों द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म द्वारा निलंब और परियोजना खाते की सबसे अंत की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

5. पिछले 3 वर्षों में मुख्य वित्तीय और प्रचालन संबंधी मापदंडों की बाबत प्रदर्शन

I. पिछले 3 वर्षों के संक्षिप्त तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान खाता (मुख्य शीर्षों के साथ) ।

II. उस वेबपेज का लिंक दिया जाना चाहिए जहाँ से म्युनिसिपल बॉडी के संपूर्ण वित्तीय विवरणों को देखा जा सके ।

III. वित्तीय मापदंड:

मुख्य वित्त संबंधी आँकड़े	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
राजस्व आय			
राजस्व व्यय (ब्याज छोड़कर)			
प्रचालन संबंधी राजस्व अधिशेष			
ब्याज व्यय			
मूलधन का प्रतिसंदाय (किंतु सिंकिंग फंड से नहीं)			
सिंकिंग फंड में अंशदान			
राजस्व अधिशेष			
पूँजीगत आय			
पूँजीगत व्यय			
पूँजी अधिशेष			
समग्र अधिशेष			
जमाएँ (डिपॉज़िट) और अग्रिम (एडवांस) (शुद्ध)			
प्रारंभिक नकदी / बैंक शेष			
नकदी / बैंक शेष में परिवर्तन			
अंतिम नकदी / बैंक शेष			
सिंकिंग फंड से ऋण चुकौती			

सिंकिंग फंड का प्रारंभिक शेष			
सिंकिंग फंड में परिवर्तन			
सिंकिंग फंड का अंतिम शेष			
कुल ऋण (डैट)			
कुल व्यय / कुल राजस्व का अनुपात			
नकदी अधिशेष / कुल राजस्व			
कर्ज चुकौती (डैट सर्विस) / कुल राजस्व का अनुपात			

IV. प्रचालन संबंधी मापदंड:

पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्व के शीर्ष 5 स्रोतों के ब्यौरे

राजस्व प्राप्ति का प्रकार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
कखग 1			
कखग 2			
कखग 3			
कखग 4			
कखग 5			

V. संपत्ति कर संग्रहण के ब्यौरे:

विवरण	की गई मांग			संग्रहण			समग्र संग्रहण अनुपात	वर्तमान संग्रहण अनुपात
	बकाया	वर्तमान	कुल	वर्तमान	बकाया	कुल		
वित्तीय वर्ष								
वित्तीय वर्ष								
वित्तीय वर्ष								

VI. ई-गवर्नेंस, जल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट / एसडब्ल्यूएम) पर लागत वसूली, संपत्ति कर, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन और अन्यों के संबंध में सुधारों की स्थिति, एमओयूडी और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट

ङ. निर्गमकर्ता (इश्युअर) के बकाया उधार के ब्यौरे

I. सबसे अंत की तिमाही की समाप्ति पर को निर्गमकर्ता के उधारों के ब्यौरे:-

II. प्रतिभूत उधार (जमानती ऋण) संबंधी सुविधाओं के ब्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	सुविधा का प्रकार	मंजूर रकम	बकाया मूलधन की रकम	प्रतिसंदाय की तारीख / सूची	प्रतिभूति (सिक्यूरिटी)

III. अप्रतिभूत उधार (गैर-जमानती ऋण) संबंधी सुविधाओं के ब्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	सुविधा का प्रकार	मंजूर रकम	बकाया मूलधन की रकम	प्रतिसंदाय की तारीख / सूची

IV. एनसीडी / बॉण्डों के ब्यौरे:-

डिबेंचर / बॉण्ड श्रृंखला (सीरीज़)	परिपक्वता (मैच्यूरिटी) काल / परिपक्वता की अवधि	कूपन	रकम	आबंटन की तारीख	मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख/ सूची	साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)	प्रतिभूत / अप्रतिभूत	प्रतिभूति (सिक्यू-रिटी)

V. शीर्ष 10 डिबेंचर धारकों की सूची (.....को)

क्र.सं.	डिबेंचर धारकों का नाम	रकम

टिप्पणी : शीर्ष 10 धारकों के ब्यौरे दिए जाएँगे [मूल्य के अनुसार, सभी बकाया डिबेंचर निर्गमों (डिबेंचर इश्यू) हेतु संचयी आधार पर] ।

VI. सृजित भार (चार्ज) की रकम, प्रतिपक्षकार (काउंटर पार्टी) के नाम सहित (जैसे परियोजना का नाम, आदि)

VII. वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) के ब्यौरे:- सबसे अंत की समाप्त तिमाही को बकाया वाणिज्यिक पत्रों (कमर्शियल पेपर्स) का कुल अंकित मूल्य और इसका विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदान किया जाना है:-

परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की तारीख	बकाया रकम

VIII. शेष लिए गए उधारों के ब्यौरे

IX. आस्ति दायित्व असंतुलन (असेट लाइबिलिटी मिसमैच) के अनुमानित परिदृश्य, इनका समाधान करने के उद्देश्य से किए गए प्रयास

X. पिछले 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के मीयादी ऋणों (टर्म लोन), निर्गमकर्ता द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) और अन्य वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में ब्याज और मूलधन की अदायगी में हुई चूक (चूकों) और / या हुए विलंब के ब्यौरे

XI. पिछले 5 वर्षों में निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन के ब्यौरे [अर्थात् कूपन, परिपक्वता (मैच्यूरिटी), कॉल / पुट ऑप्शन आदि में परिवर्तन]

XII. प्रस्ताव दस्तावेज में यह वचन प्रकट किया जाना चाहिए कि आस्तियों पर भार सृजित करने के लिए निर्गम (इश्यू) को उधार देने वालों की सहमति प्राप्त हो गई है [यदि निर्गम (इश्यू) प्रतिभूत (सिक्योर्ड) बॉण्डों का निर्गम हो]

XIII. किन्हीं लिए गए बकाया उधारों / निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों के ब्यौरे, नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए, चाहे पूर्णत: या अंशत:, प्रीमियम पर या छूट (डिस्काउंट) पर, या विकल्प (ऑप्शन) के अनुसरण में

XIV. निर्गम के समय कोई महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटना / उद्घटना या परिवर्तन, जिनका वित्तीय स्थिति / ऋण-गुणवत्ता (क्रेडिट क्वालिटी) पर असर पड़ता हो [उदाहरणार्थ निर्गमकर्ता के खिलाफ कोई महत्त्वपूर्ण (तात्विक) विनियामक कार्यवाहियाँ जिनके परिणामस्वरूप दायित्व काफी बढ़ गए हों, पुनर्संरचना हो गई हो, आदि] जो निर्गम को या ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने / निवेश करते रहने के संबंध में निवेशकों के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो।

XV. रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाए गए रेंटिग के विस्तृत तर्काधार (तर्काधारों) (जो निर्गम के खुलने की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराने न हों) / क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) हेतु जारी पत्र (जो निर्गम के खुलने की तारीख को एक महीने से अधिक पुराना न हो) को प्रकट किया जायेगा।

XVI. क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट) की व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों, पूरे ब्यौरों, यदि कोई हों, के साथ।

XVII. यदि प्रतिभूति गारंटी या चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) या ऐसे ही आशय के किसी अन्य दस्तावेज / पत्र द्वारा समर्थित हो, तो उसकी प्रति प्रकट की जाएगी। यदि ऐसे दस्तावेज में भुगतान के विस्तृत ढाँचे [गारंटी का अवलंब लेने की प्रक्रिया और निवेशक द्वारा भुगतान की प्राप्ति, समय-सीमाओं के साथ] का उल्लेख न हो, तो उसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में प्रकट किया जाएगा।

XVIII. यदि ब्याज / मूलधन की चुकौती (के प्रतिसंदाय) के लिए निलंब (एस्क्रो) व्यवस्था हो, तो उसके ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

XIX. डिबेंचर न्यासी (न्यासियों) का (के) नामों का उल्लेख इस आशय के कथन के साथ किया जाएगा कि डिबेंचर न्यासी (न्यासियों) ने अपनी नियुक्ति हेतु, निर्गमकर्ता को सहमति दे दी है। ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) को बाद में भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं में भी इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

XX. उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम, जहाँ ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव हो, और साथ ही नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज को भी स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाए।

XXI. न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) तथा भार (चार्ज) संबंधी दस्तावेजों के निष्पादन में देरी होने की दशा में नगर निगम द्वारा देय शास्तिक ब्याज।

XXII. नियत तारीखों को ब्याज के भुगतान और / या मूलधन के मोचन (रिडेंप्शन) में चूक की दशा में देय अतिरिक्त ब्याज (कूपन दर से अधिक)।

XXIII. जिस तारीख से आबंटन समझा गया उस तारीख (डीम्ड डेट ऑफ एलॉटमेंट) से ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) में देरी होने की दशा में नगर निगम द्वारा देय शास्तिक ब्याज।

XXIV. अन्य ब्यौरे।

XXV. डीडीआर / ऐसी अन्य आरक्षिति (रिज़र्व) का सृजन - सुसंगत विनियम तथा लागू होना।

XXVI. निर्गम / लिखत संबंधी विनियम - सुसंगत ब्यौरे [सुसंगत अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइडलाइन्स), इत्यादि]।

XXVII. आवेदन प्रक्रिया।

XXVIII. भुगतान की तारीखों को तय करने और उनमें बदलाव करने की प्रक्रिया [उन दिनों के संबंध में जब किसी कारण की वजह से (जैसे बैंक में अचानक अवकाश हो जाना) भुगतान नहीं किया जा सकता]।

XXIX. उन दस्तावेजों की सूची, जो निर्गम के संबंध में निष्पादित किए जा चुके हों / जिनका निर्गम के संबंध में निष्पादन किया जाएगा।

XXX. निवेशक शिकायतों संबंधी व्यवस्था।

XXXI. ऐसे अन्य ब्यौरे जो निवेशकों के लिए जरूरी हों, ताकि वे प्रस्तावित निर्गम में अपने निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

XXXII. संबंधित म्युनिसिपल बॉडी के महापौर (मेयर) और आयुक्त (कमिश्नर) द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि प्रस्ताव दस्तावेज में सत्य, सही और पर्याप्त जानकारी दी गई है, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में अपने निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।

XXXIII. कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी के निदेशक (निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि प्रस्ताव दस्तावेज में सत्य, सही और पर्याप्त जानकारी दी गई है, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में अपने निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।

च. निर्गम के ब्यौरे

संक्षिप्त निबंधन-पत्रक (टर्म शीट) उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें प्रतिभूत (सिक्योर्ड) / अप्रतिभूत (अनसिक्योर्ड) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) (या उनकी श्रंखला) से संबंधित कम से कम निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी (जहाँ सुसंगत हो):-

प्रतिभूति का नाम	बॉण्ड का नाम जिसमें सम्मिलित है [निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम, कूपन और परिपक्वता (मैच्यूरिटी) का वर्ष)] उदाहरणार्थ 8.70% xxx 2015
निर्गमकर्ता (इश्युअर)	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का प्रकार	प्रतिभूत या अप्रतिभूत
वरीयता-क्रम	पहले या बाद में
निर्गम (इश्यू) का माध्यम	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) / सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू)
पात्र निवेशक	
सूचीबद्धता (लिस्टिंग) [स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम जहाँ उसे सूचीबद्ध किया जाएगा तथा सूचीबद्धता की समय-सीमा सहित]	
लिखत की रेटिंग	_____ लि. द्वारा _____
निर्गम का आकार	
अति अभिदान (ओवरसब्स्क्रिप्शन) को रखने का विकल्प (रकम)	
निर्गम (इश्यू) के उद्देश्य	प्रस्तावित निर्गम के आगम किसी एक परियोजना या एक से अधिक परियोजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से निश्चित किए जाएँगे; परियोजना (परियोजनाएँ) वित्तीय रूप से व्यवहार्य होगी (होंगी), अर्थात् परियोजना (परियोजनाएँ) लगातार इतना राजस्व जुटाने में सक्षम हों जितना प्रचालन एवं रख-रखाव संबंधी लागत के वित्तपोषण (फाइनेंस) हेतु पर्याप्त हो।
आगमों (प्रोसीड्स) के उपयोग के ब्यौरे	
कूपन दर	
करयोग्य / कर मुक्त	
कूपन दर का बढ़ना / घटना	
कूपन भुगतान की आवृत्ति	
कूपन भुगतान की तारीखें	वे तारीखें जब कूपन का भुगतान किया जाएगा।
कूपन का प्रकार	स्थिर (फिक्स्ड), अस्थिर (फ्लोटिंग) या कूपन की अन्य संरचना
कूपन पुनर्निर्धारण (रीसेट) प्रक्रिया (जिसमें दरें, स्प्रेड, प्रभावी तारीख, ब्याज दर कैप एवं फ्लोर इत्यादि	

सम्मिलित हैं)	
दैनिक गणना आधार (डे काउण्ट बेसिस)	वास्तविक / वास्तविक
आवेदन धनराशि पर ब्याज	
परिपक्वता काल	जिस तारीख से आबंटन समझा गया उस तारीख (डीम्ड डेट ऑफ एलॉटमेंट) से ____ महीने
मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख	वे तारीखें जब मूलधन का भुगतान किया जाएगा
मोचन की रकम	
मोचन प्रीमियम / छूट (डिस्काउंट)	
निर्गम (इश्यू) की कीमत	वह कीमत जिस पर बॉण्ड निगर्मित (इश्यू) किया जाता है
छूट (डिस्काउंट) जिस पर प्रतिभूति निर्गमित की जाती है और ऐसी छूट के परिणामस्वरूप प्रभावी प्राप्ति	
पुट ऑप्शन की तारीख	
पुट ऑप्शन की कीमत	
कॉल ऑप्शन की तारीख	
कॉल ऑप्शन की कीमत	
पुट सूचित करने का समय	समय-सीमाएँ जब तक निवेशक के लिए यह जरूरी है कि वह पुट ऑप्शन का प्रयोग करने से पूर्व निर्गमकर्ता (इश्युअर) को सूचित करे
कॉल सूचित करने का समय	समय-सीमाएँ जब तक निर्गमकर्ता के लिए यह जरूरी है कि वह कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने से पूर्व निवेशक को सूचित करे
अंकित मूल्य	
न्यूनतम आवेदन और तत्पश्चात् ऋण प्रतिभूतियों के गुणज (मल्टिपल) में	
निर्गम (इश्यू) का समय 1. निर्गम खुलने की तारीख 2. निर्गम बंद होने की तारीख 3. पे-इन की तारीख 4. आबंटन की समझी गयी तारीख	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के निर्गमन का माध्यम	केवल डीमैट [निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) हेतु] के लिए प्रति लिखत 10 लाख रुपये
लिखत के व्यापार (की ट्रेडिंग) का माध्यम	केवल डीमैट (निजी स्थानन हेतु)
लिखत के निपटान (सेटलमेंट) का माध्यम	
निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी)	
कारबार दिवस कन्वेंशन	
अभिलिखित तारीख (रिकॉर्ड डेट)	प्रत्येक कूपन भुगतान की तारीख / मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख से 15 दिन पूर्व
प्रतिभूति (जहाँ लागू हो) [जिसमें प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) का वर्णन, प्रकार, भार का प्रकार, प्रतिभूति के सृजन की संभाव्य तारीख, न्यूनतम सिक्यूरिटी कवर, पुनर्मूल्यांकन, प्रतिभूति का प्रतिस्थापन]	
संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) संबंधी दस्तावेज	

संवितरण (डिस्बर्समेंट) से पहले की (पूरोभाव्य) शर्तें	
संवितरण से बाद की (उत्तरभाव्य) शर्तें	
चूक की घटनाएँ	
क्रॉस डिफॉल्ट खंड (क्लॉज़) से संबंधित प्रावधान (उपबंध)	
डिबेंचर न्यासी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियाँ	
विनियमित करने वाली विधि और क्षेत्राधिकार	

टिप्पण:

कूपन दर में कोई परिवर्तन, और उसके साथ वे दशाएँ / घटनाएँ जिनके कारण परिवर्तन हुआ हो, यदि किसी घटना आदि के अनुसरण में, जिसमें निश्चित समयावधि का बीत जाना या रेटिंग में गिरावट सम्मिलित है, कूपन दर में परिवर्तन आता है, तो ऐसी नई कूपन दर और घटनाएँ, जिनके कारण ऐसा परिवर्तन हुआ, प्रकट की जाएँगी ।

अनुसूची-II

[विनियम 7 (10) देखें]

कंपनी रजिस्ट्रार के पास निर्गमकर्ता (इश्युअर) या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के समय और निर्गम (इश्यू) के खुलने से पूर्व सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

महोदय / महोदया,

विषय: ---------- द्वारा ---------- का निर्गम (इश्यू)

1. हम यह पुष्टि करते हैं कि न तो निर्गमकर्ता को और न ही उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या निदेशकों (कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी के मामले में) को बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश या निदेश के अधीन पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध किया गया है । हम यह भी पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में नामित (उल्लिखित) मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) में से किसी को भी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कार्य करने से विवर्जित नहीं किया गया है ।

2. हम यह पुष्टि करते हैं कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के बारे में सभी तात्विक (महत्त्वपूर्ण) प्रकटीकरण प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि इस निर्गम के माध्यम से प्रस्तावित शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और उनके व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रारंभ होने तक निर्गम में या निर्गम के संबंध में किसी महत्त्वपूर्ण (तात्विक) उद्घटना की सूचना उन सभी समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचनाओं / विज्ञापनों के माध्यम से दी जाएगी जिनमें निर्गम से पूर्व विज्ञापन और निर्गम के खुलने या बंद होने के विज्ञापन दिए गए हों ।

3. हम यह पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव दस्तावेज में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 में यथा विनिर्दिष्ट सभी प्रकटीकरण किए गए (अंतर्विष्ट) हैं ।

4. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013, यदि लागू हो, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और तदधीन जारी नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के सभी सुसंगत उपबंधों (प्रावधानों), परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है ।

 हम यह पुष्टि करते हैं कि ---------- (नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज) के वेबसाइट पर दाखिल किए गए प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) के संबंध में प्राप्त सभी टिप्पणियों / शिकायतों का उपयुक्त रूप से निवारण कर लिया गया है।

स्थान:

तारीख: **अग्रणी मर्चेंट बैंककार**

अनुसूची-III

[विनियम 7 (11) देखें]

निर्गम के खुलने से पूर्व डिबेंचर न्यासी द्वारा दिए जाने वाले सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

महोदय / महोदया,

विषय: ----------लि. (कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी) द्वारा ---------- का निर्गम (इश्यू)

हम, ऊपर उल्लिखित आगामी निर्गम के डिबेंचर न्यासी निम्नानुसार कथन करते हैं कि:

(1) हमने उक्त निर्गम से संबंधित दस्तावेजों और अन्य ऐसे सुसंगत दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

(2) ऐसी जाँच-पड़ताल और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके महापौर (मेयर) / उप महापौर (डिप्टी मेयर), निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ चर्चाओं और विभिन्न सुसंगत दस्तावेजों के स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर,

हम यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने निर्गमित की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति हेतु यथोचित प्रावधान किए हैं और / या का प्रावधान करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) निर्गमकर्ता ने उक्त संपत्ति (संपत्तियों) / प्राप्यों (रिसीवेबल्स) पर प्रतिभूति का सृजन करने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ / सहमतियाँ अभिप्राप्त कर ली हैं।

(ग) निर्गमकर्ता ने प्रतिभूति और ऋण प्रतिभूतियों के धारकों के प्रति अपनी सतत बाध्यताओं के बारे में भी सभी सुसंगत प्रकटीकरण कर दिए हैं।

हमने ऋण प्रतिभूतियों को चुकाने (की सर्विस) करने में निर्गमकर्ता (इश्युअर) की योग्यता के बारे में स्वयं का समाधान कर लिया है।

स्थान:

तारीख:

निर्गम का डिबेंचर न्यासी (उसकी मुद्रा [सील] सहित)

अनुसूची-IV

[विनियम 9 (1) देखें]

सार्वजनिक निर्गमों के लिए निर्गम विज्ञापनों का फॉर्मेट

यह विज्ञापन जानकारी देने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है

_____नगर निगम या_____ लिमिटेड (या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी)

(संबद्ध राज्य अधिनियम या कंपनी अधिनियम के अधीन _____ के रूप में _____ को निगमित और तत्पश्चात् _____को _____पुनःनामित)

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:_____ दूरभाष: _____ फैक्स: _____

निगमित कार्यालय (कारपोरेट ऑफिस):_____ दूरभाष: _____ फैक्स: _____

ई-मेल: _____ वेबसाइट: _____

निर्गम

रु. _____ की _____ ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम (एक की कीमत: रु. _____)

[कूपन, मोचन (रिडेंप्शन), इत्यादि के संक्षिप्त ब्यौरे प्रकट किए जाएँगे]

महापौर (मेयर) / उप महापौर (डिप्टी मेयर) / आयुक्त (कमिश्नर) / संप्रवर्तक (प्रोमोटर)

XXXX

प्रस्तावित सूचीबद्धता

स्टॉक एक्सचेंजों के नाम

मर्चेंट बैंककार

(नाम)

निर्गमकर्ता (इश्युअर) का अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर)

नाम, पता, दूरभाष तथा फैक्स संख्याएँ, ई-मेल आईडी, वेबसाइट का पता

साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

(प्राप्त रेटिंग को उसके अर्थ के साथ प्रमुखता से प्रकट किया जाएगा)

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी)

(नाम)

आवेदन फॉर्मों (प्ररूपों) की उपलब्धता

निर्गमकर्ता (इश्युअर), अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर्स), इत्यादि के नाम (पते वैकल्पिक)

प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) की उपलब्धता

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्गम में आवेदन करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज और उसमें दिए गए (अंतर्विष्ट) जोखिम कारकों (रिस्क फैक्टर्स) का संदर्भ लें । प्रस्ताव दस्तावेज की पूरी प्रति निर्गमकर्ता / अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) / स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइटों पर (WWW._____ पर) उपलब्ध है ।

निर्गम खुलने की तारीख:

निर्गम बंद होने की तारीख:

निर्गमकर्ता के निदेशकों

द्वारा जारी

अनुसूची-V

[विनियम 23 (1) देखें]

<u>निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) द्वारा किए जाने वाले आवधिक प्रकटीकरण :</u>

1. निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, तुरंत, स्टॉक एक्सचेंज और डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी लागू हो, के पास दाखिल करेगा ।
2. इसके अलावा, निर्गमकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और डिबेंचर न्यासी, जहाँ कहीं भी लागू हो, को छमाही आधार पर निम्नलिखित आवधिक प्रकटीकरण किए जाएँगे:
 i. परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) के लिए निधियों (फंड) का उपयोग – प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में उल्लिखित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्गम आगमों (इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोगों के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट का छमाही प्रमाणीकरण ।
 ii. जिस परियोजना (जिन परियोजनाओं) का वित्तपोषण किया जा रहा हो, उस परियोजना (उन परियोजनाओं) के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट, विलंब के कारणों, यदि कोई हों, सहित ।
 iii. परियोजना (प्रोजेक्ट) का विकास – परियोजना के विकास से संबंधित ब्यौरे परियोजना (प्रोजेक्ट) इंजिनियर के प्रमाणीकरणों के साथ बॉण्ड न्यासी, रेटिंग एजेंसियों और स्टॉक एक्सचेंजों को छमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उनका सार्वजनिक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए ।
 iv. बॉण्डों की चुकौती (सर्विसिंग) करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण (तात्विक) प्रतिकूल परिवर्तन ।
 v. पूर्व-भुगतान के लिए प्रस्ताव, परिपक्वता (मैच्यूरिटी) से पहले बिक्री / खरीद के मामले में बॉण्डों का मूल्यांकन आदि ।
 vi. महत्त्वपूर्ण अनुपात जैसे ऋण (डैट) इक्विटी अनुपात, ऋण चुकौती (डैट सर्विस) कवरेज अनुपात, ब्याज चुकौती (इंटरेस्ट सर्विस) कवरेज अनुपात, आदि
 vii. बॉण्डों की चुकौती (सर्विसिंग), आस्ति (असेट) कवर बनाए रखने, क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट) सुविधाओं और निवेशक शिकायत एवं निवारण के संबंध में छमाही विवरणी (रिटर्न)
 viii. बॉण्डों की समय पर चुकौती (सर्विसिंग) के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट / बैंक का प्रमाणपत्र ।

यू.के. सिन्हा,अध्यक्ष

[विज्ञापन **III**/4/असा/**69–जैड बी / 15 (140)]**

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15 July, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES BY MUNICIPALITIES) REGULATIONS, 2015

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/006.- In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), to put in place a framework for public issue of debt securities by municipalities, listing and trading of such securities and matters incidental thereto, the Board hereby makes the following regulations, namely, —

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,–

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "advertisement" includes all forms of communication including notices, brochures, pamphlets, show cards, catalogues, hoardings, placards, posters, insertions in newspaper, cover pages of offer documents, pictures, films, etc., in any print media or electronic media or social media, radio, television programme;

(c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;

(d) "corporate municipal entity" means a company as defined under Companies Act, 2013, which is a subsidiary of a municipality and which is set up for the purpose of raising funds for a specific municipality or group of municipalities;

(e) "debt securities" means a non-convertible debt securities which create or acknowledge indebtedness, and include debenture, bonds and such other securities of a municipality, or a corporate municipal entity, whether constituting a charge on the assets of such body or not;

(f) "designated stock exchange" means a recognised stock exchange in which securities of an issuer are listed or proposed to be listed and which is chosen by the issuer as a designated stock exchange for the purpose of a particular issue of debt securities under these regulations;

(g) "general obligation bonds" means debt securities where principal and interest are serviced through tax proceeds of the municipality.

(h) "issuer" means any municipality or a corporate municipal entity, which makes or proposes to make an issue of debt securities in accordance with these regulations or which has its securities listed on a recognised stock exchange or which seeks to list its debt securities on a recognised stock exchange;

(i) "municipality" means an institution of self-government constituted under Article 243Q of the Constitution of India;

(j) "national municipal accounts manual" means the municipal accounting manual formulated by the Ministry of Urban Development;

(k) "offer document" means prospectus or shelf prospectus and includes any such document or advertisement whereby the subscription to debt securities are invited by the issuer from public;

(l) "private placement" means any offer of debt securities or invitation to subscribe to debt securities to a select group of persons by a municipality through issue of a private placement offer letter to not more than two hundred persons, which shall not intend to result in, directly or indirectly, the debt securities becoming available for subscription or purchase by persons other than those receiving the offer or invitation:

Provided that for a corporate municipal entity, it shall mean an offer or invitation made in terms of section 42 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, through issue of a private placement offer letter;

(m) "public issue" means an offer or invitation by an issuer to public to subscribe to the debt securities, which is not in the nature of a private placement;

(n) "revenue bonds" means debt securities which are serviced by revenues from one or more projects;

(o) "schedule" means a schedule annexed to these regulations;

(p) "shelf prospectus" means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus:

Provided that for a corporate municipal entity, it shall have the same meaning as assigned to it in section 31 of Companies Act, 2013;

(q) "specified" means specified by a general or special order or circular issued under the Act or these regulations.

(2) All other words and expressions used but not defined in these regulations, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or the Companies Act, 2013 or Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Depositories Act, 1996 or the Rules and the Regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto.

Applicability.

3. These regulations shall apply to -

(a) public issue of debt securities; and

(b) listing of debt securities issued through public issue or on private placement basis on a recognised stock exchange.

CHAPTER II

ELIGIBILITY

Eligible municipalities.

4. No issuer shall be eligible to issue debt securities to public under these regulations, unless the following criteria are complied with:

(a) municipality, whether proposing to issue debt securities itself or through corporate municipal entity, should be eligible to raise funds under its constitution;

(b) accounts of municipality shall be prepared in accordance with National Municipal Accounts Manual or in accordance with similar Municipal Accounts Manual adopted by the respective State Government for at least three immediately preceding financial years;

(c) municipality shall not have negative net worth in any of the three immediately preceding financial years;

(d) municipality shall not have defaulted in repayment of debt securities or loans obtained from Banks or Financial Institutions, during the last three hundred and sixty five days:

Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, the requirements at (b), (c) and (d) shall be complied by the Municipality which is being financed.

Explanation.-For this purpose, the term default means where interest and/ or principal amount has remained overdue for a period of more than ninety days;

(e) no order or direction of restraint, prohibition or debarment by Board against the corporate municipal entity or its directors is in force;

(f) the corporate municipal entity, its promoter, group company or director(s), should not have been named in the list of the wilful defaulters published by the Reserve Bank of India or should not have defaulted of payment of interest or repayment of principal amount in respect of debt instruments issued by it to the public, if any.

CHAPTER III

REQUIREMENTS FOR PUBLIC ISSUE

General conditions.

5. (1) An issuer making public issue of debt securities shall only issue revenue bonds.

(2) No issuer shall make a public issue of revenue bonds unless following conditions are complied with:

(a) it has made an application to one or more recognised stock exchanges for listing of such securities therein:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchanges, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange:
Provided further that where any of such stock exchanges have nationwide trading terminals, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange;
Explanation.-For any subsequent public issue, the issuer may choose a different stock exchange as a designated stock exchange subject to the requirements of this regulation;

(b) it has obtained in-principle approval for listing of its revenue bonds on the recognised stock exchanges where the application for listing has been made;

(c) credit rating has been obtained from at least one credit rating agency registered with the Board and is disclosed in the offer document:

Provided that the revenue bonds intended to be issued shall have a minimum investment grade rating:

Provided further that where credit ratings are obtained from more than one credit rating agencies, all the ratings, including the unaccepted ratings, shall be disclosed in the offer document;

(d) it has entered into an arrangement with a depository registered with the Board for dematerialisation of the revenue bonds that are proposed to be issued to the public, in accordance with the Depositories Act, 1996 and regulations made there under.

(3) The revenue bonds shall have a minimum tenure of three years or such period as specified by the Board from time to time.

(4) The revenue bonds shall have a maximum tenure of thirty years or such period as specified by the Board from time to time.

(5) The issuer shall appoint one or more merchant bankers registered with the Board at least one of whom shall be a lead merchant banker.

(6) The issuer shall create a separate escrow account for servicing of revenue bonds with earmarked revenue.

(7) The issuer shall appoint a monitoring agency such as public financial institution or a scheduled commercial bank to monitor the earmarked revenue in the escrow account under sub-regulation (6):

Provided that where the issuer is corporate municipal entity, it shall appoint a debenture trustee registered with the Board in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 and Companies Act, 2013.

Disclosures in the offer document.

6. (1) The offer document shall contain true, fair and material disclosures, which are necessary for the subscribers of the revenue bonds to take an informed investment decision.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the issuer, which is a municipality, and the lead merchant banker shall ensure that the offer document contains the following:

(a) disclosures specified in Schedule Iof these regulations;

(b) disclosures with respect to compliance with regulation 12;

(c) additional disclosures as may be specified by the Board:

Provided that in case of issuer being a corporate municipal entity, the issuer and the lead merchant banker shall ensure that the offer document contains the following:

(i) disclosures as specified in Companies Act, 2013 and Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014;
(ii) disclosures specified in Schedule I of these regulations;
(iii) disclosures with respect to compliance with regulation 12;
(iv) additional disclosures as may be specified by the Board.

Filing of draft offer document

7. (1) No issuer shall make a public issue of revenue bonds unless a draft offer document has been filed with the designated stock exchange through the lead merchant banker:

Provided that where an issuer has filed a shelf prospectus, not more than four public issuances shall be made through a single shelf prospectus during a financial year.

(2) The draft offer document filed with the designated stock exchange shall be made public by posting the same on the website of the designated stock exchange for seeking public comments for a period of seven working days from the date of filing the draft offer document with such exchange.

(3) The draft offer document may also be displayed on the website of the issuer, merchant bankers and the stock exchanges where the revenue bonds are proposed to be listed.

(4) The lead merchant banker shall ensure that the draft offer document specifies the names and contact details of the compliance officer of the lead merchant banker, the officer concerned and the project officer, wherever applicable, of the issuer including their postal and email address, telephone and fax numbers.

(5) The lead merchant banker shall ensure that all comments received on the draft offer document are suitably addressed:

Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, the lead merchant banker shall ensure that all comments received on the draft offer document are suitably addressed prior to the filing of the final offer document with the Registrar of Companies.

(6) The issuer shall, before filing of draft offer documents with Board, obtain a "Viability Certificate" or Detailed Project Appraisal Report (DPR) from a scheduled commercial bank or public financial institution stating that the project is financially viable, based on the estimates/assumptions available at that time.

(7) A copy of draft and final offer document shall also be forwarded to the Board for its records, simultaneously with filing of these documents with designated stock exchange.

(8) The issuer filing a shelf prospectus shall file a copy of an information memorandum with the recognised stock exchanges and the Board and in case of a corporate municipal entity, file the same with the Registrar of Companies.

(9) Where the issuer is a corporate municipal entity, the information memorandum shall contain the disclosures specified in Companies Act, 2013 and rules made thereunder and shall include disclosures regarding summary term sheet, material updations including revision in ratings, if any, along with the rating rationale and financial ratios specified in Schedule I.

(10) The lead merchant banker shall, prior to opening of the public issue, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule II of these regulations:

Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, the lead merchant banker shall, prior to filing of the final offer document with the Registrar of Companies, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule II of these regulations.

(11) The debenture trustee, wherever appointed under proviso to sub-regulation (7) of Regulation 5 shall, prior to the opening of the public issue, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule III of these regulations.

Mode of disclosure of offer document.

8. (1) The draft and final offer document shall be displayed on the websites of stock exchanges and shall be available for download in PDF / HTML formats.

(2) The draft offer document shall be filed with the designated stock exchange, for dissemination on its website prior to the opening of the issue:

Provided that where the issuer is a Corporate Municipal Entity, the final offer document shall be filed with the designated stock exchange, simultaneously with filing thereof with the Registrar of Companies, for dissemination on its website prior to the opening of the issue.

(3) Where any person makes a request for a physical copy of the offer document, the same shall be provided to him by the issuer or lead merchant banker.

Advertisements for public issues.

9. (1)The issuer may make an advertisement in a national daily with wide circulation, on or before the issue opening date and such advertisement shall, amongst other things, contain the disclosures as per Schedule IV.

(2) No issuer shall issue an advertisement which is misleading in material particular or which contain any information in a distorted manner or which is manipulative or deceptive.

(3) The advertisement shall be truthful, fair and clear and shall not contain a statement, promise or forecast which is untrue or misleading.

(4) Any advertisement issued by the issuer shall not contain any matters which are extraneous to the contents of the offer document.

(5) The advertisement shall urge the investors to invest only on the basis of information contained in the offer document.

(6) Any promotional or educative advertisement issued by the issuer during the subscription period shall not make any reference to the issue of revenue bonds or be used for solicitation.

Abridged prospectus and application forms.

10. (1) The issuer and lead merchant banker shall ensure that:

(a) every application form issued by the issuer is accompanied by a copy of the abridged prospectus;

(b) the abridged prospectus shall not contain matters which are extraneous to the contents of the prospectus;

(c) adequate space shall be provided in the application form to enable the investors to fill in various details like name, address, etc.

(2) The issuer may provide the facility for subscription of application in electronic mode.

Minimum subscription.

11. (1) The issuer may decide the amount of minimum subscription which it seeks to raise by issue of debt securities and disclose the same in the offer document:

Provided such minimum subscription limit shall not be less than seventy five per cent of the issue size.

(2) In the event of non-receipt of minimum subscription as specified above, all application moneys received in the public issue shall be refunded forthwith to the applicants, within twelve days from the date of the closure of the issue.

(3) In the event, there is a delay by the issuer in making the aforesaid refund, then the issuer shall refund the subscription amount along with interest at the rate of ten per cent. per annum for the delayed period.

Utilization of issue proceeds.

12. (1) The funds raised from public issue of debt securities shall be used only for projects that are specified under objects in the offer document.
(2) The proceeds of the issue shall be clearly earmarked for a defined project or a set of projects for which requisite approvals have been obtained from concerned authorities.
(3) The issuers shall maintain a bank account in which the amount raised from the issue shall be transferred immediately after the closure of the issue and such amount shall only be utilised for specified project(s):
Provided that where the issuer is a Corporate Municipal Entity, the issue proceeds, net of issue expenses, shall be used only for onward lending to municipalities, as disclosed in the offer document:
Provided further that where the issuer is a corporate municipal entity, it shall maintain sufficient interest margin while onward lending to the municipalities, to meet its operating expenses and obligations.

(4) The issuer shall establish a separate project implementation cell and designate a project officer who shall not be below the rank of deputy commissioner, who shall monitor the progress of the project(s) and shall ensure that the funds raised are utilised only for the project(s) for which the debt securities were issued:
Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, such requirement shall be complied by the Municipality which is being financed.
(5) Issuer's contribution for each project shall not be less than twenty per cent. of the project costs, which shall be contributed from their internal resources or grants:
Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, contribution of the concerned municipality, which is being financed by the corporate municipal entity, shall not be less than twenty per cent. of the project costs, which shall be contributed from its internal resources or grants.
(6) The issuer shall disclose the schedule of implementation of the project in the offer document in a tabular form and the funds raised by the issuer shall be utilized in accordance with the said schedule.

Underwriting.

13. A public issue of revenue bonds may be underwritten by an underwriter registered with the Board and in such a case adequate disclosures regarding underwriting arrangements shall be disclosed in the offer document.

CHAPTER IV
LISTING OF DEBT SECURITIES

Mandatory listing.

14. An issuer desirous of making an offer of debt securities to the public shall make an application for listing to one or more recognised stock exchanges:

Provided that in case of issuer being corporate municipal entity, such an application shall be made in terms of sub-section (1) of section 40 of the Companies Act, 2013.

Conditions for listing of debt securities issued on private placement basis.

15. (1) An issuer may list its debt securities issued on private placement basis on a recognised stock exchange subject to the following conditions:

(a) an issuer may issue general obligation bonds or revenue bonds;

(b) accounts of municipality being the issuer, shall be prepared in accordance with National Municipal Accounts Manual or in accordance with similar Municipal Accounts Manual adopted by the respective State Government for at least three immediately preceding financial years;

(c) no order or direction of restraint, prohibition or debarment by Board against the corporate municipal entity or its directors is in force;

(d) the issuer, being a corporate municipal entity, has issued such debt securities in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and particularly section 42 of the Companies Act, 2013 and rules prescribed there under and other applicable laws;

(e) the issuer shall not solicit or collect funds by issue of debt securities, except by way of private placement;

(f) the minimum subscription amount per investor shall not be less than rupees twenty five lakh or such amount as may be specified by Board from time-to-time;

(g) credit rating has been obtained in respect of such debt securities from at least one credit rating agency registered with the Board;

(h) the debt securities proposed to be listed are in dematerialized form;

(i) the disclosures as provided in Schedule I of these regulations have been made.

CHAPTER V
REQUIREMENTS FOR BOTH PUBLIC ISSUES AND PRIVATE PLACEMENT

Asset cover.

16. An issuer, proposing to issue debt securities shall maintain 100% asset cover sufficient to discharge the principal amount at all times for the debt securities issued.

Buy-back.

17. The issuers may provide an option to buy-back the debt-securities at a value which shall not be less than the face value of the debt securities, from the investors:

Provided in such cases, appropriate disclosure shall be made in the offer document.

Prohibitions of mis-statements in the offer document.

18. (1) The offer document shall not omit disclosure of a material fact which may make the statements made therein misleading, in light of the circumstances under which they are made.

(2) The offer document or abridged prospectus or any advertisement issued by an issuer in connection with a public issue of debt securities shall not contain any false or misleading statement.

Creation of security for secured debentures.

19. (1) The debentures shall be secured by the creation of a charge, on the properties or assets or the receivables of the issuer, having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon:

Provided that in case unsecured debentures are intended to be listed on stock exchange(s), then such debt securities shall either be backed by guarantee from State Government or Central Government or shall have a structured payment mechanism whereby the issuer shall deposit debt servicing amounts in the designated bank account at least 10 working days before due date of payment.

(2) The total value of secured debentures issued shall not exceed the market value of immovable property/other assets or receivables of the issuer, for which a charge shall be created.

(3) The issuer shall give an undertaking in the offer document that the assets on which charge is created are free from any encumbrances and if the assets are already charged to secure a debt, the permissions or consent to create second or *paripasu* charge on the assets of the issuer have been obtained from the earlier creditor.

(4) The issue proceeds shall not be utilised until the documents for creation of security are executed.

Trust deed.

20. (1) A trust deed for securing the issue of debentures shall be executed by the issuer in favour of the independent trustee or debenture trustee, as applicable, within three months of the closure of the issue.

(2) The trust deed shall contain such clauses as may be prescribed in Schedule IV of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993:

Provided that in case of private placement by a corporate municipal entity, the trust deed shall, in-addition, contain such clauses as prescribed under section 71 of the Companies Act, 2013 and Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014.

(3) The trust deed shall not contain a clause which has the effect of:

(a) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of the debenture trustees or the issuer in relation to any rights or interests of the investors;

(b) limiting or restricting or waiving the provisions of the Act, these regulations and circulars or guidelines issued by the Board;

(c) indemnifying the debenture trustees or the issuer for loss or damage caused by their act of negligence or commission or omission.

Redemption and roll-over.

21. (1) The issuer shall redeem the debt securities in terms of the offer document.

(2) Where the issuer being a corporate municipal entity, desires to roll-over the debt securities issued, it shall do so only upon passing of a special resolution to that effect and give twenty one days notice of the proposed roll over to the holders of debt securities:

Provided where the issuer is a municipality, the notice shall be given to the holders of debt securities and stock exchanges where the debt securities are listed, upon the said decision:
Provided further that in case the issuer is a municipality, if the holders of debt securities do not provide consent for the proposed roll over within the notice period, the issuer shall redeem the debt securities of such holders.
(3) The notice referred to in sub- regulation (2) shall contain disclosures with regard to credit rating and rationale for roll-over.

(4) The issuer being a corporate municipal entity shall, prior to sending the notice to holders of debt securities, file a copy of the notice and proposed resolution with the stock exchanges where such securities are listed, for dissemination of the same to public on their websites.

(5) The debt securities issued can be rolled over subject to the following conditions:

(a) The roll-over is approved by a special resolution passed by the holders of debt securities through postal ballot having the consent of not less than 75% of the holders by value of such debt securities:

Provided that this condition shall not be applicable to the issuer, which is a municipality:
Provided further that in case of issuer being a municipality, a period of seven days shall be granted to the holders of debt securities to provide their consent;

(b) Atleast one rating is obtained from a credit rating agency within a period of six months prior to the due date of redemption and is disclosed in the notice referred to in sub-regulation (2);

(c) Fresh trust deed shall be executed at the time of such roll over or the existing trust deed may be continued if the trust deed provides for such continuation ;

(d) Adequate security shall be created or maintained in respect of such debt securities to be rolled–over.

(6) The issuer shall redeem the debt securities of all the holders, who have not given their positive consent to the roll-over.

Debenture redemption reserve.

22. (1) For the redemption of the debentures issued by a corporate municipal entity, the issuer shall create debenture redemption reserve in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

(2) Where the issuer is a corporate municipal entity and the issuer has defaulted in payment of interest on debt securities or redemption thereof or in creation of security as per the terms of the issue of debt securities, any distribution of dividend shall require approval of the debenture trustees.

CHAPTER VI
CONDITIONS FOR CONTINUOUS LISTING AND TRADING OF DEBT SECURITIES

Continuous listing conditions.

23. (1) All the issuers making public issues of debt securities or seeking listing of debt securities issued on private placement basis, shall comply with conditions of listing including continuous disclosure and other requirements specified by the Board in general and those specified in Schedule V to these regulations.

(2) Where the issuer is corporate municipal entity, one-third of its Board shall comprise of independent directors, as defined in section 149 of the Companies Act, 2013.

(3) Every rating obtained by an issuer shall be periodically reviewed by the registered credit rating agency and any revision in the rating shall be promptly disclosed by the issuer to the stock exchange(s) where the debt securities are listed.

(4) In the event of credit rating being downgraded by two or more notches below the rating assigned at the time of issue, the issuer shall present to all bondholders, the reasons for fall in rating and the steps, if any, it intends to take to recover the rating.

(5) Any change in rating shall be promptly disseminated in such manner as the stock exchange where such securities are listed may determine from time-to-time.

(6) The issuer, the respective debenture trustees, wherever appointed, and stock exchanges shall disseminate all information and reports regarding debt securities including compliance reports filed by the issuers and the debenture trustees, if appointed, to the investors and the general public by placing them on their websites.

(7) The information referred to in sub-regulation (5) shall also be placed on the websites, if any, of the debenture trustee, the issuer and the stock exchanges.

Accounting and audit.

24. (1) An issuer, being a municipality, shall prepare its accounts in accordance with the National Municipal Accounts Manual or in accordance with similar Municipal Accounts Manual adopted by the respective State Government:

Provided that in case of the issuer being a corporate municipal entity, the accounts shall be prepared in accordance with section 129 and 134 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
(2) In case of the issuer being a municipality, the accounts of the issuer shall be audited by the persons appointed by the municipal corporations, as permissible under its constitution/state legislation governing the municipality:

Provided that in case of an issuer being a corporate municipal entity, the accounts of the issuer shall be audited by an auditor, in terms of section 139 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder:

(3) The bank account for issue proceeds and separate escrow account with earmarked revenues, shall be audited by persons so appointed by the municipality or the corporate municipal entity, within six months of the close of every financial year.

Trading and reporting of debt securities.

25. (1) The debt securities issued to the public or on a private placement basis, which are listed in recognised stock exchanges, shall be traded and such trades shall be cleared and settled in recognised clearing corporation subject to conditions specified by the Board.

(2) The trading lot for privately placed debt securities shall be rupees one lakh or such amount as may be specified by the Board.

(3) In case of trades of debt securities which have been made over the counter, such trades shall be reported on a recognised stock exchange having a nationwide trading terminal or such other platform as may be specified by the Board from time-to-time.

(4) The information in respect of issues such as issuer details, instrument details, ratings, rating migration, coupon, buyback, redemption details, shall be required to be reported to a common database with depositories or any other platform as may be specified by the Board.

CHAPTER VII

OBLIGATIONS OF INTERMEDIARIES AND ISSUERS

Obligations of monitoring agency and trustee.

26. (1) The monitoring agency appointed under sub-regulation (7) of regulation 5 shall be vested with the requisite powers for protecting the interest of holders of debt securities.

(2) The monitoring agency shall inspect on half yearly basis, the utilization of issue proceeds in accordance with objects of the issue as specified in offer document and report, material deviation, if any, to the concerned stock exchange for public dissemination.

(3) The monitoring agency shall monitor earmarked revenue in the separate escrow account.

(4) The debenture trustee, wherever appointed, shall be vested with the requisite powers for protecting the interest of holders of debt securities:

Provided that , where the issuer is a corporate municipal entity, such powers shall include a right to appoint a nominee director on the Board of the issuer, in consultation with institutional holders of such securities.

(5) the debenture trustee, wherever appointed, shall disclose the information to the investors and the general public by issuing a press release in any of the following events:

(a) default by issuer to pay interest on debt securities or redemption amount;

(b) failure to create a charge on the assets;

(c) revision of rating assigned to the debt securities.

(6) The debenture trustee, wherever appointed, shall carry out its duties and perform its functions under these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the trust deed and offer document, with due care, diligence and loyalty.

(7) The debenture trustee, wherever appointed, shall ensure disclosure of all material events on an ongoing basis

(8) The debenture trustees, wherever appointed, shall supervise the implementation of the conditions regarding creation of security for the debt securities and debenture redemption reserve.

Obligations of the issuer and merchant banker.

27. (1) The issuer shall disclose all the material facts in the offer documents issued or distributed to the public and shall ensure that all the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate and there is no mis-leading or untrue statements or mis-statement in the offer document.

(2) The merchant banker(s) shall verify and confirm that the disclosures made in the offer documents are true, fair and adequate and ensure that the issuer is in compliance with these regulations.

(3) The merchant banker(s) shall ensure that all transaction specific disclosures required in Schedule I of these regulations are complied with:

Provided where the issuer is a corporate municipal entity, merchant banker(s) shall also ensure that the disclosures under Companies Act, 2013 and rules made thereunder are complied with.

(4) The issuer shall treat the applicants in a public issue of debt securities in a fair and equitable manner as per the procedures as may be specified by the Board.

(5) The issuer and merchant bankers shall be responsible for the due diligence in respect of assignments undertaken by them in respect of issue, offer and distribution of securities to the public.

(6) No person shall employ any device, Scheme or artifice to defraud in connection with issue or subscription or distribution of debt securities which are listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange.

(7) The issuer and the merchant bankers shall ensure that the security created to secure the debt securities is adequate to ensure hundred per cent. asset cover for the debt securities.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

Sanction for violations.

28. Any contravention of these regulations shall be dealt with by the Board in accordance with the Act.

Power to remove difficulties.

29. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars:

Provided that where any direction is issued by the Board in a specific case relating to interpretation or application of any provision of these regulations, it shall be done only after affording a reasonable opportunity of being heard to the concerned persons and after recording reasons for the direction.

SCHEDULE I

[See Regulation 6(2)]

Disclosures

1. Where the issuer is a Corporate Municipal Entity, it shall make disclosures in accordance with Schedule I to SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 and shall also make below mentioned disclosures, whichever is relevant, pertaining the municipalities proposed to be financed by the issue;
2. Where the issuer is a municipality, it shall make below mentioned disclosures:

A. General Information

1. The relevant Act under which the issuer of such securities is incorporated and governed.

2. Copy of the Committee Resolution/Municipal Corporation authorizing the borrowing and list of authorized signatories.
3. Copy of the necessary Resolution(s) for the allotment of debt securities.
4. Copy of budget documents for last 3 years containing actual financial performance and/or revised estimates along with the details of related party transactions
5. An undertaking from the issuer stating that the necessary documents for the creation of the charge, where applicable, including the Trust Deed would be executed within the time frame prescribed in the relevant regulations/act/rules etc. and the same would be uploaded on the website of the recognised Stock exchange where the debt securities have been listed, within five working days of execution of the same.
6. Any other particulars or documents that the recognised stock exchange, where the debt security have been listed, may call for as it deems fit.
7. An undertaking that permission / consent from the prior creditor for a second or paripassu charge being created, where applicable, in favor of the trustees to the proposed issue has been obtained.
8. Name and contact details of the monitoring agency.
9. Details of the separate escrow account opened for servicing of debt securities with earmarked revenue, wherever applicable.

Issuer shall submit the following disclosures to the Debenture Trustee in electronic form (soft copy) at the time of allotment of the debt securities:

1. The relevant Act under which the issuer of such securities is incorporated and governed.
2. Copy of the Resolution authorizing the borrowing and list of authorized signatories.
3. Copy of the necessary Resolution(s) for the allotment of debt securities.
4. Copy of budget documents for last 3 years containing actual financial performance and/ or revised estimates.

B. An undertaking to the effect that the Issuer would, till the redemption of the debt securities, submit the details relating to the financials of the issuer to the Trustee within the timelines prescribed by SEBI for furnishing /publishing its half yearly/ annual result. Further, the Issuer shall, forthwith, submit a copy of the latest annual report to the Trustee and the Trustee shall be obliged to share the details submitted under this clause to debenture-holders within two working days of their specific request. The following disclosures shall be made in the offer document where relevant:

I. Name and address of the following:-
 a. Head office/quarters of the Issuer
 b. Compliance officer of the Issuer
 c. Complete Details of the Official In-charge of dealing with investor Grievances related to the Municipal Bonds, his/her address, phone number, email ID, etc.
 d. Chief Accounts and Finance Officer or equivalent of the Issuer
 e. Arrangers, if any, of the instrument
 f. Trustee of the issue
 g. Registrar to an issue
 h. Credit Rating Agency (-ies) of the issue and
 i. Auditors of the issuer.
 j. The relevant Act under which the issuer is incorporated and governed

II. Comprehensive Disclosure regarding the Risk Factors, including project risks, operational risks, credit risks, liquidity risks, etc.

C. Organization details:

1. Details of Mayor / Deputy Mayor including date of appointment, etc.
2. Details of Commissioner/ Deputy Commissioner including date of appointment, etc
3. Details of any Reorganization or Reconstruction in the last 1 year:-

Type of Event	Date of Announcement	Date of Completion	Details

4. Details of the members of the Committee approving the project/ various Standing Committees relating to Taxation / Finance /Accounts/ Audit/ Infrastructure

Name and Designation	Date of Appointment/ Resignation	Member of the Committee since (in case of resignation)	Remarks

5. Details of the Auditors

Name	Address	Auditor since

6. Details of trustee

Name	Address	Contact person

D. A brief summary of the business/ activities of the Issuer and its project for which funds are to be raised containing atleast following information

1. Overview of the issuer
2. Management Structure of the issuer and the relevant department issuing the bond
3. Details of all the project undertaken or proposed in terms of cost and means of financing
4. Complete details of the project/s for which finance is raised
 - i. An investment plan for the project components indicating phasing as well as financing approved by the local authority or the agency as the case may be
 - ii. Schedule of implementation of the project
 - iii. Capital structure relating to projects for which funds are proposed to be mobilized
 - iv. Capital grant for the proposed project and the amount received in this regard
 - v. Details of State Finance Commission Grant on annual basis
 - vi. Benchmarks for commencement and completion of the project including milestone dates for all components of the project
 - vii. Details and status of the regulatory approval (if required)
 - viii. Financial viability of the project showing the stage wise cost and revenue flows for the project.
 - ix. Revenue generation/resources and sufficiency for timely servicing and redemption
 - x. Details of the independent trustee of the escrow account
 - xi. Latest Audit report of the escrow and project account by a firm of chartered accountants appointed by the concerned State Urban Development Departments from a panel CA's approved by the C& AG.
5. Performance with respect to key financial and operational parameters for the last 3 years
 - I. Abridged Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipts and Payments Accounts for the last three years with major heads;
 - II. Link to the web page where the entire financials of the Municipal Body can be accessed should be given.
 - III. Financial Parameters:

Key Financial Figures	FY	FY	FY
Revenue Income			
Revenue expenditure (Excl. Interest)			
Operating revenue Surplus			
Interest expense			
Principal repayment (outside sinking Fund)			
Contribution to Sinking fund			
Revenue Surplus			
Capital Income			
Capital Expense			
Capital Surplus			
Overall Surplus			

Deposits and Advances (net)			
Initial Cash / Bank balance			
Change in Cash / Bank balance			
Final Cash / Bank balance			
Loan repayment from sinking fund			
Initial Sinking fund balance			
Change in sinking fund			
Final sinking fund balance			
Total Debt			
Ratio of Total Expenditure /Total Revenue			
Cash Surplus / Total Revenue			
Ratio of Debt Service / Total Revenue			

IV. Operational Parameters:

Details of top 5 revenue sources for last 3 years

Revenue Receipt type	Actual	Actual	Actual
	FY	FY	FY
XYZ 1			
XYZ 2			
XYZ 3			
XYZ 4			
XYZ 5			

V. Details of property tax collection

Particulars	Demand Raised			Collections			Overall Collection ratio	Current Collection ratio
	Arrears	Current	Total	Current	Arrear	Total		
FY								
FY								
FY								

VI. Status of reforms with respect to e-governance, cost recovery on water supply & Solid Waste Management (SWM), property tax, double entry accounting and others, as specified by MoUD and authorities concerned

E. Details of Issuer's outstanding borrowing

I. Details of borrowings of the Issuer, as on the latest quarter end:-

II. Details of Secured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt. Sanctioned	Principal Amt. outstanding	Repayment Date / Schedule	Security

III. Details of Unsecured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt. Sanctioned	Principal Amt. outstanding	Repayment Date / Schedule

IV. Details of NCDs/Bonds: -

Debenture/Bond Series	Tenor / Period of Maturity	Coupon	Amount	Date of Allotment	Redemption Date/ Schedule	Credit Rating	Secured / Unsecured	Security

V. List of Top 10 Debenture Holders (as on ……)

Sr. No.	Name of Debenture Holders	Amount

Note: Top 10 holders' (in value terms, on cumulative basis for all outstanding debentures issues) details should be provided.

VI. The amount of charge created along with name of the counterparty (like name of the project etc.)

VII. Details of Commercial Paper:- The total Face Value of Commercial Papers Outstanding as on the latest quarter end to be provided and its breakup in following table:-

Maturity Date	Amount Outstanding

VIII. Details of Rest of Borrowings

IX. Estimated Scenarios of Asset Liability Mis-matches, efforts intended to resolve the same.

X. Details of all default/s and/or delay in payments of interest and principal of any kind of term loans, debt securities and other financial instrument issued by the Issuer, in the past 3 years.

XI. Details of change in terms and conditions of debt securities issued in past 5 years (i.e. change in coupon, maturity, call/put option etc.).

XII. An undertaking should be disclosed in the offer document that the issue has obtained Lenders consent for creating charge on assets (if the issue is of secured Bonds)

XIII. Details of any outstanding borrowings taken/ debt securities issued for consideration other than cash, whether in whole or part, at a premium or discount, or in pursuance of an option;

XIV. Any material event/ development or change having implications on the financials/credit quality (e.g. any material regulatory proceedings against the Issuer, resulting in material liabilities, restructuring event etc) at the time of the issue which may affect the issue or the investor's decision to invest/ continue to invest in the debt securities.

XV. The detailed rating rationale (s) adopted (not older than one year on the date of opening of the issue)/ credit rating letter issued (not older than one month on the date of opening of the issue) by the rating agencies shall be disclosed.

XVI. Credit Enhancement Mechanisms if any, with complete details, if any.

XVII. The security is backed by a guarantee or letter of comfort or any other document / letter with similar intent, a copy of the same shall be disclosed. In case such document does not contain detailed payment

structure (procedure of invocation of guarantee and receipt of payment by the investor along with timelines), the same shall be disclosed in the offer document.

XVIII. In case there is an escrow mechanism for the repayment of the interest/principal, details of the same should be given.

XIX. The names of the debenture trustee(s) shall be mentioned with statement to the effect that debenture trustee(s) has given his consent to the Issuer for his appointment. This also needs to be mentioned in all subsequent communications sent to the holders of debt securities.

XX. Names of all the recognised stock exchanges where the debt securities are proposed to be listed clearly indicating the designated stock exchange.

XXI. Penal interest payable by the Municipal Corporation in case of delay in execution of Trust Deed and Charge documents.

XXII. Additional interest to be paid, above the Coupon Rate, in case of default in payment of Interest and/or principal redemption on the due dates.

XXIII. Penal interest payable by the Municipal Corporation in case of delay in listing of debt securities from the deemed date of allotment.

XXIV. Other details.

XXV. DRR/such other reserve creation - relevant regulations and applicability.

XXVI. Issue/instrument specific regulations - relevant details (Relevant Act, RBI guidelines, etc).

XXVII. Application process.

XXVIII. Procedure for deciding and adjusting payment dates (in response to days when payment can't be made due to any reason like sudden bank holiday.

XXIX. List of documents which have been executed/ will be executed in relation to the issue.

XXX. Investor grievances mechanisms.

XXXI. Such other details necessary for the investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.

XXXII. Declaration signed by the Mayor and Commissioner of the concerned Municipal Body stating that offer document contains true, fair and adequate information to enable investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.

XXXIII. Declaration signed by the Director(s) of the Corporate Municipal Entity stating that offer document contains true, fair and adequate information to enable investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.

F. Issue details

Summary term sheet shall be provided which shall include at least following information (where relevant) pertaining to the Secured / Unsecured Non Convertible debt securities (or a series thereof):-

Security Name	Name of the bond which includes (Issuer Name, Coupon and maturity year) e.g. 8.70% XXX 2015.
Issuer	
Type of Instrument	Secured or Unsecured
Seniority	Senior or Subordinated.
Mode of Issue	Private placement/Public issue
Eligible Investors	
Listing (including name of stock Exchange(s) where it will be listed and timeline for listing)	
Rating of the Instrument	_____ by _____ Ltd.
Issue Size	
Option to retain over subscription (Amount)	
Objects of the Issue	The proceeds of the proposed issue shall be clearly earmarked for a defined project or a set of projects; The project(s) shall be financially viable project(s), i.e., should be able to generate a stream of revenue which should be sufficient to finance Operational & Maintenance cost.
Details of the utilization of the Proceeds	
Coupon Rate	
Taxable/Tax free	

Step Up/Step Down Coupon Rate	
Coupon Payment Frequency	
Coupon payment dates	Dates on which coupon will be paid
Coupon Type	Fixed, floating or other coupon structure
Coupon Reset Process (including rates, spread, effective date, interest rate cap and floor etc).	
Day Count Basis	Actual/ Actual
Interest on Application Money	
Tenor	__ Months from the Deemed from the date of Allotment
Redemption Date	Dates on which Principal will be paid
Redemption Amount	
Redemption Premium /Discount	
Issue Price	The price at which bond is issued
Discount at which security is issued and the effective yield as a result of such discount.	
Put option Date	
Put option Price	
Call Option Date	
Call Option Price	
Put Notification Time	Timelines by which the investor need to intimate Issuer before exercising the put option.
Call Notification Time	Timelines by which the Issuer need to intimate investor before exercising the call option.
Face Value	
Minimum Application and in multiples of _Debt Securities thereafter	
Issue Timing 1. Issue Opening Date 2. Issue Closing date 3. Pay-in Date 4. Deemed Date of Allotment	
Issuance mode of the Instrument	Rs. 10 lakh per instrument for Demat only (for private placement)
Trading mode of the Instrument	Demat only (for private placement)
Settlement mode of the Instrument	
Depository	
Business Day Convention	
Record Date	15 days prior to each Coupon Payment date / Redemption date.
Security (where applicable) (Including description, type of security, type of charge, likely date of creation of security, minimum security cover, revaluation, replacement of security).	
Transaction Documents	
Conditions Precedent to Disbursement	
Condition Subsequent to Disbursement	
Events of Default	
Provisions related to Cross Default Clause	
Role and Responsibilities of Debenture Trustee	
Governing Law and Jurisdiction	

Notes:

Any change in Coupon Rate, along with events which lead to the change if there is any change in Coupon Rate pursuant to any event including elapse of certain time period or downgrade in rating, then such new Coupon Rate and events which lead to such change should be disclosed.

SCHEDULE II

[See Regulation 7 (10)]

FORMAT FOR DUE DILIGENCE CERTIFICATE AT THE TIME OF FILING THE OFFER DOCUMENT BY AN ISSUER OR A CORPORATE MUNICIPAL ENTITY WITH REGISTRAR OF COMPANIES AND PRIOR TO THE OPENING OF THE ISSUE

To,
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
Dear Sir / Madam,
SUB.: ISSUE OF _____ BY _____

1.We confirm that neither the issuer nor its promoters or directors (in case of corporate municipal entity), have been prohibited from accessing the capital market under any order or direction passed by the Board. We also confirm that none of the intermediaries named in the offer document have been debarred from functioning by any regulatory authority.

2. We confirm that all the material disclosures in respect of the issuer have been made in the offer document and certify that any material development in the issue or relating to the issue up to the commencement of listing and trading of the shares offered through this issue shall be informed through public notices/ advertisements in all those newspapers in which pre-issue advertisement and advertisement for opening or closure of the issue have been given.

3. We confirm that the offer document contains all disclosures as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015.

4. We also confirm that all relevant provisions of the Companies Act, 2013, if applicable, Securities Contracts, (Regulation) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules, Regulations, Guidelines, Circulars issued thereunder are complied with.

We confirm that all comments/ complaints received on the draft offer document filed on the website of _____ (designated stock exchange) have been suitably addressed.

PLACE
DATE: **LEAD MERCHANT BANKER (S)**

SCHEDULE III

[See Regulation 7 (11)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE BEFORE OPENING OF THE ISSUE

To,
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF _____ BY _____Ltd (Corporate Municipal Entity)

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

(1) We have examined documents pertaining to the said issue and other such relevant documents.

(2) On the basis of such examination and of the discussions with the issuer, its Mayor/Deputy Mayor /Directors and other officers, other agencies and of independent verification of the various relevant documents,

WE CONFIRM that:

(a) The issuer has made adequate provisions for and/or has taken steps to provide for adequate security for the debt securities to be issued.

(b) The issuer has obtained the permissions / consents necessary for creating security on the said property (ies) / receivables.

(c) The issuer has made all the relevant disclosures about the security and also its continued obligations towards the holders of debt securities.

We have satisfied ourselves about the ability of the issuer to service the debt securities.

PLACE
DATE: **DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH HIS SEAL**

SCHEDULE IV

[See Regulation 9 (1)]

FORMAT OF ISSUE ADVERTISEMENTS FOR PUBLIC ISSUES

This is an advertisement for information purposes

_____ _____ **Municipal Corporation or** _____ **Ltd (or Corporate Municipal Entity)**

(Incorporated on _____ under the Relevant State Act or the Companies Act as _____ and subsequently renamed _____ on _____)

Registered Office: _____ Tel: _____ Fax _____

Corporate Office: _____ Tel: _____ Fax _____

e-mail: _____ Website: _____

THE ISSUE

Public issue of _____ debt securities of Rs. ____ each at a price of Rs._____

(Summary Details of Coupon, Redemption, etc shall be disclosed)

MAYOR/ DEPUTY MAYOR /COMMISSIONER/PROMOTERS

XXXX

PROPOSED LISTING

Names of Stock Exchanges

MERCHANT BANKERS

(Names)

COMPLIANCE OFFICER OF THE ISSUER

Name, address, telephone and fax numbers, email ID, website address

CREDIT RATING

(The Rating Obtained shall be disclosed prominently along with the meaning of the same)

DEBENTURE TRUSTEES

(Names)

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS

Names of Issuer, Lead Managers, etc. (Addresses optional)

AVAILABILITY OF OFFER DOCUMENT

Investors are advised to refer to the offer document, and the risk factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the offer document is available on websites of issuer / lead manager(s) / Stock Exchange(s) on www._____

ISSUE OPENS ON:
ISSUE CLOSES ON:

Issued by
Directors of Issuer

SCHEDULE V

[See Regulation 23 (1)]

Periodic Disclosures to be made by Issuers:

1. The issuer shall file its Annual Audited financial results, forthwith, with the stock exchange and debenture trustee, wherever applicable.
2. Further, following periodic disclosures shall be made by the Issuer on half yearly basis to the stock exchange and debenture trustee, wherever applicable.

i. Utilization of funds for the projects – Half yearly certification of Chartered Accountant on Utilizations of the issue proceeds for execution of the projects stated in the offer document.

ii. A report containing status of implementation of project(s), which is being financed alongwith reasons for delay, if any.

iii. Project development - Details with respect to the development of the Project along with certifications from the Project Engineer should be furnished to the bond trustee, Rating Agencies and stock exchanges on Half Yearly Basis and should be publicly disseminated.

iv. Material adverse changes affecting ability to service bonds.

v. Proposal for pre-payment, valuation of bond in case of sale/purchase before maturity etc.

vi. Important ratios like Debt Equity Ratio, Debt Service Coverage Ratio, Interest Service Coverage Ratio etc.

vii. Half Yearly return on servicing of bonds, maintenance of Asset Cover, Credit enhancement facilities and Investors Grievances &Redressal

viii. A CA/Bank certificate for timely servicing of bonds.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/15(140)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.